



मध्य प्रदेश शासन

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

शहरी स्थानीय निकाय

और

पंचायती राज संस्थाओ

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा)
मध्यप्रदेश, ग्वालियर



मध्य प्रदेश शासन

वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

शहरी स्थानीय निकाय

और

पंचायती राज संस्थाओ

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के
तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण पर आधारित

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

कार्यालय प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा)
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विषय सूची		
	संदर्भ	
	कंडिका क्र.	पृष्ठ क्र.
प्राक्कथन		v
विहंगावलोक		vii
भाग-प्रथम-शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय-प्रथम		
शहरी स्थानीय निकायों की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
प्रशासनिक व्यवस्थायें	1.2	2
लेखापरीक्षा का क्षेत्र	1.3	2
लेखांकन की व्यवस्थायें	1.4	2
लेखापरीक्षा की व्यवस्थायें	1.5	3
राजस्व के स्रोत	1.6	4
बजट आवंटन एवं व्यय	1.7	4
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना	1.8	5
लेखा परीक्षा की बकाया आपत्तियों की स्थिति	1.9	6
बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना	1.10	6
कर/गैर कर राजस्व की वसूली नहीं किया जाना	1.11	6
अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	1.12	7
सामान्य भविय निधि खातों में राशि जमा न किया जाना	1.13	7
निष्कर्ष	1.14	8
अध्याय-द्वितीय		
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.)	2.1 to 2.13	9 से 19

अध्याय-तृतीय		
लेनदेन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ		
तेरहवें वित्त आयोग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को जारी अनुदान और उसका उपयोग	3.1	20 से 22
व्यवसायिक दुकानों के आवंटन न होने से राशि ₹ 2.90 करोड़ की राजस्व की हानि	3.2	23 से 24
भाग-2 पंचायती राज संस्थाएँ		
अध्याय-प्रथम		
पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	25 से 26
प्रशासनिक व्यवस्थायें	1.2	26 से 27
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियां	1.3	27
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.4	27
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखाओं का संधारण	1.5	27
लेखापरीक्षा व्यवस्थायें	1.6	28
राजस्व के स्रोत	1.7	28
पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ एवं व्यय	1.8	28
राज्य वित्त आयोग के अनुदानों का हस्तांतरण	1.9	29
बैंक समाशोधन विवरण तैयार न करना	1.10	30
लेखापरीक्षा की लंबित कंडिकाओं की स्थिति	1.11	30
निष्कर्ष	1.12	30
अध्याय-द्वितीय		
लेनदेनों की लेखापरीक्षा		
तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान राशि का शहरी स्थानीय निकायों को जारी किया जाना और उसका उपयोग	2.1	31 से 34

	परिशिष्ट	पृष्ठ क्र.
परिशिष्ट-I	वर्ष 2010-11 में लेखा परीक्षा की गई नगर निगमों की सूची	35 से 37
परिशिष्ट-II	रोकड़ बही और बैंक पास बुक में दिये गये ब्यौरो का अन्तर	38
परिशिष्ट-III	दिनांक 31.3.2011 तक असंग्रहित कर राजस्व का विवरण	39
परिशिष्ट-IV	दिनांक 31.3.2011 तक असंग्रहित गैर कर राजस्व का विवरण	39
परिशिष्ट-V	असमायोजित अग्रिमों का विवरण	40
परिशिष्ट-VI	जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खाते में 31 मार्च को अंतिम शेष	41
परिशिष्ट-VII	ऋण प्रकरणों में बैंक द्वारा अनुदान का अनियमित समायोजन	42 से 45
परिशिष्ट-VIII	वर्ष 2010-11 के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का निदेशालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. द्वारा कोषालय से आहरण एवं स्थानीय निकायों को हस्तांतरण का विवरण	46 से 47
परिशिष्ट-IX	वर्ष 2010-11 में लेखा परीक्षा की गई पंचायती राज संस्थाओं की सूची	48 से 50
परिशिष्ट-X	रोकड़ बही और बैंक पास बुक के विवरण का अन्तर	51
परिशिष्ट-XI	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की स्थिति और निदेशालय पंचायती राज म0प्र0 द्वारा कोष से आहरित राशि और वर्ष 2010-11 में स्थानीय निकायों को हस्तांतरण	52 से 53

प्राक्कथन

- 1- यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक परीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिये बनाया गया है।
- 2- यह प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया, भाग-प्रथम में शहरी स्थानीय निकाय और भाग-द्वितीय में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियाँ की गई हैं।
- 3- प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वर्ष 2010-11 में एवं पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये लेनदेनों एवं लेखा प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित है लेकिन विगत प्रतिवेदनों में ये प्रकरण सम्मिलित नहीं हो सके। ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2010-11 से बाद के हैं आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन के दो भाग हैं। भाग प्रथम शहरी स्थानीय निकाय और भाग द्वितीय पंचायती राज संस्थाओं पर है। भाग प्रथम में तीन अध्याय हैं, प्रथम अध्याय में शहरी स्थानीय निकायों के लेखा प्रक्रिया सहित वित्त पर विहंगावलोकन, अध्याय द्वितीय में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है जबकि अध्याय तृतीय में लेन-देनों की लेखा परीक्षा का वर्णन है। भाग द्वितीय में दो अध्याय हैं। जिसमें अध्याय एक पंचायती राज संस्थाओं के लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन और अध्याय -दो में लेन देनों की लेखा परीक्षा वर्णित है।

भाग-प्रथम

शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-प्रथम

शहरी स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा गठित कार्य दल द्वारा सुझाये गये निर्धारित प्रपत्रों को शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नहीं लागू किया गया।

(कंडिका 1.4)

तीन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा रोकड़ बही और बैंक खातों के अंतर की राशि ₹ 2.14 करोड़ का समाधान नहीं किया गया (कर और गैर कर राजस्व) ।

(कंडिका 1.10)

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ₹ 23.63 करोड़ राशि के राजस्व की वसूली न होना ।

(कंडिका 1.11)

दो शहरी स्थानीय निकायों में कर्मचारियों से ₹ 1.83 करोड़ के अग्रिम की वसूली न होना ।

(कंडिका 1.12)

अध्याय-द्वितीय

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

जिला शहरी विकास प्राधिकरण के बैंक खाते में ₹ 7.98 करोड़ की निष्क्रिय राशि पड़े रहना।

(कंडिका 2.7.2)

बैंकों द्वारा सब्सिडी का अनियमित समायोजन

(कंडिका 2.8.1)

अध्याय-तृतीय

लेनदेन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को शहरी स्थानीय निकायों को जारी किये जाने एवं उसके उपयोग में अनियमिततायें

(कंडिका 3.1)

व्यवसायिक दुकानों के आवंटन न होने से राशि ₹ 2.68 करोड़ के राजस्व की हानि

(कंडिका 3.2)

भाग-द्वितीय

पंचायती राज संस्थाएँ

अध्याय-प्रथम

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सुझाये गये निर्धारित प्रपत्रों पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लेखे संधारित नहीं किये गये

(कंडिका 1.5)

अध्याय द्वितीय

लेन देनों की लेखापरीक्षा

तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान को पंचायती राज संस्थाओं को जारी किये जाने एवं उसके उपयोग में अनियमिततायें

(कंडिका 2.1)

भाग-1 शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय-प्रथम

शहरी स्थानीय निकायों की लेखांकन प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (डब्ल्यू) में परिकल्पित है कि राज्य शासन विधि द्वारा नगरीय निकायों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान कर सकती है जो उन्हें स्वशासी सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधियों में है जो नगरीय निकायों को शक्तियों और जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के प्रावधान के शामिल किये जा सकते हैं।

संविधान संशोधन अधिनियम 1992, (74वाँ संशोधन) के पश्चात नगरीय निकायों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य और जिम्मेदारियों को निहित करते हुये स्थानीय स्वशासी सरकार के रूप में संपूर्ण और जीवंत संस्थाएँ बनाये गये थे। तदनुसार, राज्य शासन ने इन संस्थाओं को नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय प्रणाली में, बड़े शहरी क्षेत्र के लिये नगर निगमों, छोटे शहरी क्षेत्रों¹ के लिए नगर पालिकाओं तथा संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए नगर परिषद में पुर्नगठित किया है।

मध्य प्रदेश राज्य की सामान्य जानकारी नीचे दी गई है:-

	इकाई	राज्य आँकड़े	संपूर्ण देश के आँकड़े
जनसंख्या*	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में भाग*	प्रतिशत	6.00	--
शहरी जनसंख्या*	करोड़	2.00	38.00
जनसंख्या का भाग*	प्रतिशत	28.00 ²	31.00
राज्य की साक्षरता दर*	प्रतिशत	71.00	74.00
राज्य का लिंगानुपात*	अनुपात	930/1000	940/1000
नगर निगम	संख्या	14 [#]	139 [@]
नगर पालिका परिषद	संख्या	100 [#]	1595 [@]
नगर परिषद	संख्या	263 [#]	2108 [@]

स्त्रोत: * आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार

वर्ष 2011-12 के लिए मध्यप्रदेश की प्रशासनिक प्रतिवेदन

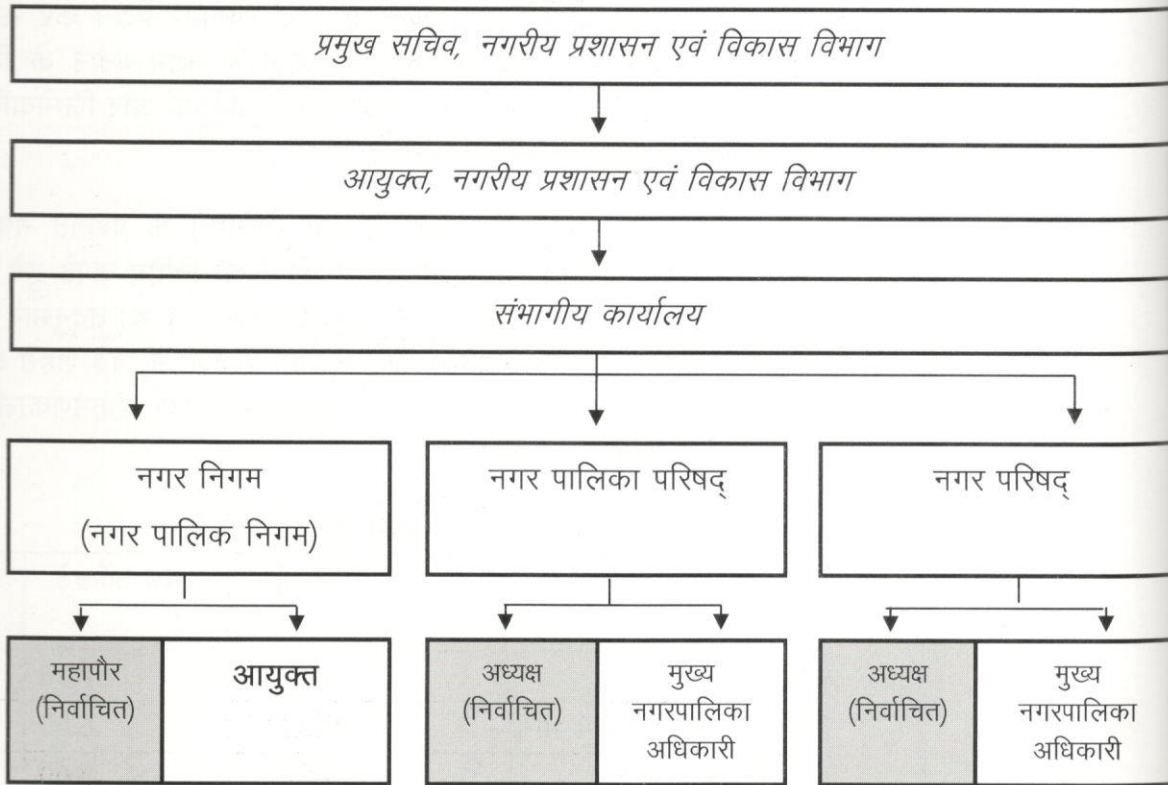
@ तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

¹ इससे अभिप्राय है कि राज्यपाल जनसंख्या घनत्व, राजस्व उत्पत्ति कृषि गतिविधियों, आर्थिक महत्व आदि के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।

² $2 \times 100 / 7.26 = 27.548$ (28 में पूर्णांकित)

1.2 प्रशासनिक व्यवस्थाएँ

मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत सभी नगरीय निकायों को अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सौंपे गये कार्यों के निर्वहन के लिए राज्य के प्राधिकारियों को पर्यवेक्षण कार्य सहित, उसके अंतर्गत शक्ति प्राप्त है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शहरी नगरीय निकाय की संगठनात्मक संरचना निम्नानुसार है।



1.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

राज्य में कुल 377 शहरी स्थानीय निकायों में से (14 नगर निगम, 100 नगर पालिका और 263 नगर परिषद हैं) वर्ष 2010-11 में 85 शहरी स्थानीय निकायों के (09 नगर निगम, 27 नगर पालिका और 49 नगर परिषद) अभिलेखों की लेखा परीक्षा की गई। (परिशिष्ट-1)

1.4 लेखांकन की व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति और भारत सरकार वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने शहरी स्थानीय निकायों के बजट और लेखा प्रारूपों की अनुशंसा हेतु एक कार्यदल गठित किया। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रोमदय आधारित लेखाओं को अपनाने का सुझाव दिया। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा प्रकाशित मध्यप्रदेश नगरपालिका मैनुअल लेखा में जुलाई 2007 में उक्त प्रारूपों (फॉर्मेट) को अपनाया है।

वर्ष 2010-11 में 85 शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की जांच के दौरान पाया गया कि सिर्फ नौ नगर निगमों³ में खाते प्रोम्ट्य आधार पर बनाये गये हैं।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने (जनवरी 2011) पर जबाब में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त ने जनवरी 2011 में कहा है कि शहरी स्थानीय निकायों को लेखा की प्रोम्ट्य प्रणाली अपनाने के लिए (जुलाई 2010) आवश्यक अनुदेश दिये गये हैं।

उक्त विषय आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के संज्ञान में अगस्त 2012 दुबारा लाया गया जिन्होंने कहा कि कार्य प्रगति पर है। उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है, क्योंकि लेखा परीक्षा में पाया कि लेखा प्रोम्ट्य आधार पर तैयार नहीं किये गये थे।

1.5 लेखापरीक्षा की व्यवस्थायें

1.5.1 ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुति की अनुशंसा के अनुसार संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की लेखा परीक्षा (नवंबर 2001), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के आधार पर किया जाये। वर्ष 2010-11 के दौरान 85 शहरी स्थानीय निकायों जिसमें 9 नगर निगम शामिल हैं की नमूना जांच की गयी और संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा को तकनीकी मार्गदर्शन हेतु निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गयी।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के पैरा 10.121 में उल्लेख है कि राज्य की सभी स्थानीय निकायों की तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा जाये। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन तथा संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाए। तदनुसार राज्य शासन ने मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 तथा मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में जनवरी 2012 में आवश्यक संशोधन किया गया।

1.5.2 संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक संपरीक्षा योजना का अनुमोदन

लेखा एवं लेखा परीक्षा नियमावली 2007 के अनुच्छेद 152(1) के अनुसार संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार कर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के लिए प्रधान महालेखाकार को प्रेषित करें। इस विषय पर नवंबर 2008 में मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा प्रधान महालेखाकार से विचार विमर्श किया गया जहां इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की लेखा परीक्षा योजना प्रधान महालेखाकार की सहमती हेतु भेजी जायेगी, जबकि लेखा परीक्षा योजना वर्ष 2010-11 में प्रधान महालेखाकार से अनुमोदन नहीं ली गई।

³ इन्दौर, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, जबलपुर, शीवा, सतना, सिंगरौली एवं रतलाम

1.5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

मध्य प्रदेश नगरपालिका लेखा मैनुअल के अध्याय 2 के पैरा क्र. 2.2 में आन्तरिक लेखा परीक्षा के विभाग सृजन का उल्लेख किया गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षा में संपत्ति लेखा परीक्षा, वित्त लेखा परीक्षा, आन्तरिक नियंत्रण और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

शहरी स्थानीय निकायों और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं बनाया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2011) आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने अक्टूबर 2011 में जबाब दिया कि शहरी स्थानीय निकायों में आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं जा सकी है। अगस्त 2012 तक स्थिति पूर्ववत् बनी हुई थी।

1.6 राजस्व के स्रोत

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 105 और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के अनुसार स्थानीय निकायों के राजस्व प्राप्ति के मुख्यतः दो स्रोत हैं (i) सरकारी अनुदान और (ii) स्वयं का राजस्व, स्वयं का राजस्व स्रोत में नगरीय स्थानीय निकायों के स्वयं के कर राजस्व और गैर कर राजस्व जो उनके द्वारा संग्रहित किया गया हो सम्मिलित किया जाता है।

शासकीय अनुदानों में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा पर जारी अनुदान तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन तथा भारत सरकार का अंशदान सम्मिलित है।

शहरी स्थानीय निकाय शहरी विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य शासन से या राज्य शासन की अनुमति से अन्य स्रोतों से भी ऋण प्राप्त करते हैं।

1.7 बजट आवंटन एवं व्यय

भारत सरकार की योजनाओं में राज्यांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप अनुदान सहित बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवंटित निधि निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

क्र.	बजट आवंटन				व्यय			बचत (5-8)	बचत का प्रतिशत
	वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	कुल	राजस्व	पूंजीगत	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2006-07	1662.66	229.26	1891.92	1614.57	28.81	1643.38	248.54	13
2.	2007-08	2027.08	306.30	2333.38	1695.40	305.55	2000.95	332.43	14
3.	2008-09	2263.38	355.24	2618.62	2112.90	205.42	2318.32	300.30	11
4.	2009-10	2878.76	391.83	3270.59	2726.60	208.54	2935.14	335.45	10
5.	2010-11	3577.21	323.15	3900.36	2983.60	202.64	3186.24	714.12	18

स्रोत-विनियोग लेखे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक बचत का प्रतिशत 10-18 तक रहा।

नगरीय स्थानीय निकायों की प्राप्तियां एवं व्यय के स्रोत निदेशालय स्तर पर संधारित नहीं किये गये। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कहा है कि (अक्टूबर 2011 तथा जून 2012) उपरोक्त (प्राप्तियां एवं व्यय) संकलित की जावेगी और लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जावेगी। इस संबंध में राज्य सरकार से नवम्बर 2012 में पुनः जानकारी मांगी गई जिसका उत्तर अपेक्षित है।

1.8 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

सामान्य वित्तीय नियम के नियमावली 212(I) के अनुसार आवृत्ति अनुदानों के संबंध में मंत्रालय या विभाग द्वारा पूर्व वर्ष में जारी अनुदान संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात ही अगले वित्तीय वर्ष के लिये अनुदान जारी किया जाना चाहिये। तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार भी पूर्व में आहरित अनुदान की किश्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अगली किश्त जारी की जानी चाहिये।

केन्द्रीय एवं राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगरीय स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि नगरीय स्थानीय निकायों से अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अगस्त 2012 तक प्राप्त नहीं किये गये विवरण निम्नानुसार है-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य वित्त आयोग	केन्द्रीय वित्त आयोग	योग
2008-09	93.74	72.20	165.94
2009-10	106.15	72.20	178.35
2010-11	110.46	139.39	249.85
योग	310.35	283.79	594.14

(स्रोत UADD द्वारा अगस्त 2012 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आंकड़े)

1.9 लेखापरीक्षा की बकाया आपत्तियों की स्थिति

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था के अनुसार संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा महालेखाकार लेखापरीक्षा की कंडिकाओं का अनुपालन उसी प्रकार करेंगे जैसे कि वह अपनी रिपोर्ट की कंडिकाओं का करते हैं।

स्थानीय नगरीय निकायों संबंधी महालेखाकार की निरीक्षण प्रतिवेदन की बकाया कंडिकाओं का विवरण निम्नानुसार है।

(31 मार्च 2011 तक)

क्र.	वित्तीय वर्ष	शहरी नगरीय निकाय			
		बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान शामिल कंडिकाएँ	निराकरण की गई आपत्तियाँ की संख्या	बकाया आपत्तियों की संख्या
1.	2006-07	2508	601	0	3109
2.	2007-08	3109	514	0	3623
3.	2008-09	3623	778	61	4340
4.	2009-10	4340	598	0	4938
5.	2010-11	4938	453	193	5198

(स्तोत्र - स्थानीय निकाय शाखा की मासिक बकाया प्रतिवेदन)

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा से प्रधान महालेखाकार द्वारा नियमित पत्राचार के बावजूद उनके द्वारा बकाया आपत्तियों के निराकरण हेतु कोई सक्रिय निराकरण के प्रयास नहीं किये गये।

1.10 बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 97-98 में प्रावधान है कि रोकड़ बही शेष एवं बैंक खाता शेष के किसी भी अन्तर की राशि का प्रत्येक माह समाधान करना चाहिये।

जबकि यह ज्ञात हुआ कि रीवा, सागर और सतना नगर निगमों के रोकड़ बही शेष और बैंक पास बुक शेष में वर्ष के अन्त में (2010-11) ₹ 2.14 करोड़ का अंतर पाया गया जिसका समाधान पत्रक तैयार नहीं किया गया। बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किये जाने के कारण स्थानीय नगरीय निकायों की वास्तविक वित्तीय स्थिति स्पष्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अन्तर की स्थिति परिशिष्ट-II में दिया गया है।

1.11 कर/गैर कर राजस्व की वसूली नहीं किया जाना

मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 87 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय, कर, किराया, फीस, लाइसेंस से राजस्व की प्राप्ति करते हैं।

नगर निगम रीवा और सतना की नमूना जांच में पाया गया कि राशि ₹ 11.12 करोड़ का कर राजस्व जो संपत्तिकर तथा भवनों और दुकानों के किराये से संबंधित था करदाताओं के विरुद्ध वसूली हेतु मार्च 2011 तक लंबित था जिसका विवरण परिशिष्ट- III में दर्शाया गया है। इसी प्रकार गैर कर राजस्व की राशि ₹ 12.51 करोड़

जो जलकर से संबंधित थी, की वसूली तीन नगर निगमों (रीवा, सागर और सतना) में मार्च 2011 तक लंबित रही। जिसका विवरण **परिशिष्ट IV** में दर्शाया गया है। यद्यपि मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 से 183 में नगरीय स्थानीय निकायों को यह शक्तियाँ दी गई हैं कि बकाया कर की वसूली हेतु बकायादारों के चल/अचल संपत्ति को बेचने और जब्तीकरण संबंधित कार्यवाही कर सकता है किन्तु निकाय लंबित करों की वसूली में उपरोक्त शक्तियों का उपयोग करने में विफल रहे। स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा बकाया करों की वर्षवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी।

बकाया देयताओं की वसूली के लिये कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण तथा संसाधनों के अभाव में विकास कार्य प्रभावित हुये।

1.12 अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

मध्यप्रदेश नगर पालिका लेखा नियम 1971 के नियम 112 (2) के अनुसार अग्रिम राशि का व्यय एक माह के अंदर नहीं किया जाना संभावित हो तो किसी भी प्रकार के अग्रिमों का आहरण नहीं किया जा सकता है। उक्त नियम के उपनियम 6 में स्पष्ट किया गया है कि अग्रिम बही खातों की शेष राशि का मिलान कर हर तिमाही लेखा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।

वर्ष 2010-11 में नगर पालिका निगम रीवा और सतना के अभिलेखों की जांच के दौरान देखा गया कि व्यक्तिगत और अन्य एजेन्सियों के अस्थायी अग्रिमों की राशि ₹ 2.79 करोड़⁴ एक से 26 वर्षों से नगर निगम के लेखा नियमों के अनुसार लेखाओं में समायोजन नहीं किये गये।

इंगित किये जाने पर नगर निगम आयुक्त रीवा ने जुलाई 2011 में कहा था कि अग्रिमों का समायोजन प्रक्रियाधीन है जबकि आयुक्त नगर निगम सतना ने अगस्त 2011 में कहा कि बकाया की वसूली शुरू की जायेगी। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2011-12 के दौरान आयुक्त नगर निगम रीवा द्वारा ₹ 66.04 लाख वसूल किये गये। वर्तमान में ₹ 1.83 करोड़ की राशि बकाया है। जो **परिशिष्ट-V** में दर्शाई गई है।

1.13 सामान्य भविष्य निधि खातों में राशि जमा न किया जाना

मध्यप्रदेश नगर निगम कर्मचारी (भर्ती और सेवा की शर्तें) लेखा नियमावली 1968 के नियम 24 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, उसी प्रकार, निगम कर्मचारियों पर लागू होंगे जैसे कि उसी स्तर के शासकीय कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि नगर निगम सागर ने अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि ₹ 3.69 करोड़ 1977-78 से बैंक में जमा नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में देयताओं का निर्माण हो रहा है जिसे कि नगर निगम द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भुगतान करना पड़ेगा।

⁴ नगर निगम रीवा ₹ 198.70 लाख
नगर निगम सतना ₹ 80.43 लाख

इंगित किये जाने पर उपायुक्त नगर निगम सतना ने जुलाई 2011 में कहा कि वित्तीय संकट के कारण कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि बैंक में जमा नहीं की गई, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि की अन्तिम भुगतान के समय प्रति वर्ष 5 प्रतिशत ब्याज की दर से अदा किया जायेगा उपायुक्त का उत्तर नियमावली के अनुकूल नहीं था क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि की राशि एक लोक खाता होने के कारण भविष्य निधि नियमित रूप से बैंक में जमा की जानी चाहिये जिससे ब्याज की हानि तथा दायित्व निर्मित होने से बचा जा सके।

1.14 निष्कर्ष

शहरी स्थानीय निकायों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बजट और लेखाओं का संधारण नहीं किया गया। संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्ति एवं व्यय के संबंध में जानकारी संधारित नहीं की जा रही थी। नगरीय स्थानीय निकायों को आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित नहीं की गयी। संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा योजना पर प्रधान महालेखाकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

अध्याय- द्वितीय

निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्य विशेषताएँ

भारत सरकार ने दिसम्बर 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ किया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी, बेरोजगारों या अर्द्धबेरोजगारों को स्वयं के व्यवसाय स्थापित कराकर या मजदूरी रोजगार का प्रावधान करके लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के पांच मुख्य संघटक हैं। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम, शहरी नगरीय गरीबों हेतु रोजगार को बढ़ावा देने हेतु रोजगार कौशल प्रशिक्षण, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और शहरी समुदायिक विकास तंत्र। उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश राज्य नोडल अधिकारी निर्धारित किये गये हैं, जो राज्य नगरीय विकास एजेंसी के माध्यम से कार्य करेंगे। जिला स्तर पर जिला नगरीय विकास एजेंसी जिला नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

लेखापरीक्षा द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों के निष्पादन की जांच हेतु चयनित आठ जिलों की जिला नगरीय विकास एजेंसी, जिला स्तर पर नगर निगम/नगर परिषद और प्रत्येक जिले में दो नगर पंचायतों के अभिलेखों की जांच की गई। जिसके महत्वपूर्ण प्रेक्षण निम्नानुसार हैं-

पाँच जिलों के जिला शहरी विकास अभिकरणों तथा पाँच नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योग्य लाभान्वितों का सर्वे नहीं किया गया।

पैरा- 2.6.1

चयनित छः जिलों के शहरी विकास अभिकरण तथा तीन नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनायी गई

पैरा- 2.6.2

चार जिलों में परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण तथा चार शहरी स्थानीय निकायों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लाभान्वितों का कोई रजिस्टर नहीं बनाया गया

पैरा- 2.8.2

चयनित छः जिलों की जांच के दौरान पाया गया कि लाभान्वितों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये गये जो एस जे एस आर वाय योजना के दिशा निर्देशों की अनुशंसा के अनुरूप मान्य नहीं किया गया था।

पैरा- 2.10.1

2.1 प्रस्तावना :-

पूर्व की तीन शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं, नेहरू रोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिये मूलभूत सेवायें, तथा प्रधान मंत्री एकीकृत शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को शामिल कर दिनांक 1.2.1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई। शहरी बेरोजगारों या अर्द्धबेरोजगारों को स्वयं के व्यवसाय स्थापित कर या मजदूरी रोजगार का प्रावधान कर लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराना, योजना का मुख्य उद्देश्य था।

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को आने वाली मुश्किलों और एस जे एस आर वाय के क्रियान्वयन की कमियों को दूर कर योजना का दिशानिर्देश 01.4.2009 से संशोधित किये गये।

संशोधित एस जे एस आर वाय के मुख्य पांच संघटक निम्नवत हैं।

- (i) शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम (USEP)
- (ii) शहरी महिला स्व सहायता कार्यक्रम (UWSP)
- (iii) शहरी गरीबों के उत्थान हेतु रोजगार कौशल प्रशिक्षण (STEP-UP)
- (iv) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (UWEP)
- (v) शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (UCDN)

2.2 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु एक उचित प्रशासनिक व्यवस्था बनायी गई है। आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कार्ययोजना, समन्वय कार्यान्वयन, वित्तीय नियंत्रण, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के राज्य शहरी विकास (SUDA) अभिकरण के माध्यम से की जा रही है।

राज्य सरकार केन्द्र सरकार और वाहत्य सहायक स्रोत द्वारा पोषित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन किये जाने हेतु जिला स्तर पर जिला शहरी विकास एजेंसी (DUDA) जिला नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है

शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर शहरी गरीबी उन्मूलन सैल (UPA Cell) का गठन किया जाना था, गरीबी उन्मूलन सैल आवश्यक कार्यवाही हेतु सामुदायिक विकास संस्थाओं द्वारा बनाया एक कार्यवाही योजना प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिला शहरी विकास अभिकरण को अग्रेषित करेगा।

2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य :-

निष्पादन लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि क्या

- लाभान्वितों की पहचान के लिए यथोचित सर्वे किया गया.
- योजना का कार्यान्वयन सामुदायिक विकास संस्थाओं द्वारा नीचे से ऊपर की प्रशासनिक नीति के तहत किया गया जैसा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना दिशा निर्देशों में उल्लेख था।

- शहरी बेरोजगार या अर्द्धबेरोजगारों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिये स्वयं के रोजगार उपक्रम स्थापित कर या मजदूरी रोजगार या कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया
- एक प्रभावी पर्यवेक्षण कार्यविधि और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली गठित की गई थी।

2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड :-

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये

- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अनुदेश
- सस्मिडी के प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया के दिशा निर्देश
- राज्य सरकार और राज्य या जिला स्तर पर नोडल एजेन्सियों द्वारा जारी किये गये अनुदेश/परिपत्र
- राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय नियम.

2.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि :-

योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक की अवधि हेतु 23 मई से 1 जुलाई 2011 तक की गई। निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने हेतु 50 जिलों में से 11 जिलों⁵ का चयन पी पी एस डब्ल्यू ओ आर नमूना पद्धति के आधार पर किया गया तथा और दो जिलों बैतूल और होशंगाबाद योजना के प्रायोगिक अध्ययन हेतु चुने गये थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा आठ जिलों⁶ में आयोजित की गई जिसमें दो जिलों को प्रायोगिक अध्ययन हेतु चुना गया।

आयुक्त/सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के साथ एक प्रवेश सम्मेलन 19 मई 2011 को आयोजित किया गया। जिसमें लेखापरीक्षा से सम्बंधित उद्देश्य मापण्ड, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यविधि पर चर्चा की गयी।

मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के साथ एक निर्गम सम्मेलन 25 मई 2012 को आयोजित किया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

2.6 योजना

2.6.1 हितग्राहियों की पहचान हेतु सर्वेक्षण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशानिर्देश के पैरा 4.2.5 के अनुसार वास्तविक हितग्राहियों पहचान के लिये घर-घर सर्वे किया जाये, इसमें गंदी बस्तियों में रहने वाले और कम आय वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए। शहरी गरीबों की पहचान हेतु शहरी गरीबी रेखा एवं आर्थिक मापदण्ड को लागू कर निकटवर्ती दलों (NHGS)

⁵ छतरपुर, इन्दौर, खंडवा, मंडला, रतनाम, सीहोर, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा

⁶ बैतूल, छतरपुर, मंडला, रतनाम, शहडोल, शाजापुर, शिवपुरी एवं होशंगाबाद

निकटवर्ती समितियों (NHCH) और सामुदायिक विकास सोसाइटियों (CDSs) जैसे सामुदायिक संरचना की सहायता से नगरीय शहरी गरीबी उन्मूलन सैल के मार्गदर्शन में कार्य करेगा।

पाँच जिलों⁷ के जिला शहरी विकास अभिकरण तथा पाँच शहरी स्थानीय निकायों⁸ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने जवाब दिया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार हितग्राहियों की पहचान के लिए सर्वे प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2003-04 में किया गया। यद्यपि, पात्र हितग्राहियों के सर्वे से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.6.2 कार्य योजना तैयार न किया जाना

दिशा निर्देशों के पैरा 9.3 के अनुसार यू.पी.ए सैल शहरी स्थानीय निकाय के निर्धनता उपयोजना तैयार करने में सहायता देना और शहरी निर्धनों के लिए बजट (पी.बजट), स्लमों, परिवार तथा आजीविका सर्वेक्षण कराना, विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन करना शामिल है।

नमूना जांच किये गये छः जिलों के जिला शहरी विकास अभिकरण⁹ तथा तीन स्थानीय निकायों¹⁰ के अभिलेख की जांच में पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि सभी जिलों के वार्षिक लक्ष्य निश्चित किये गये और कार्य योजना तैयार करने हेतु सभी जिलों को आवश्यक अनुदेश जारी किये गए।

2.7 वित्त पोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रियायें

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 3 के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत वित्त पोषण केन्द्र ओर राज्यों के बीच 75:25 के अनुपात में किया जायेगा। केन्द्रीय अंश योजना आयोग द्वारा समय-समय पर अनुमान लगाई गई शहरी गरीबी (शहरी गरीबों की संख्या) की स्थिति, उपयोगिता प्रमाण- पत्र प्रस्तुत करने तथा पूर्व में जारी धनराशि के सापेक्ष राज्य अंश जारी करने के आधार पर संभावित रूप से आवंटित किया जायेगा। केन्द्रीय अंश राज्यों को निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जब भी पात्र हो जायेंगे, किस्तों में जारी किया जायेगा।

⁷ बैतूल, मंडला, शहडोल, शाजापुर एवं शिवपुरी

⁸ नगर निगम रतलाम, नगर पालिका अमला एवं शहडोल, नगर पंचायत बड़वाड़ा एवं भैंसदेही

⁹ छतरपुर, मंडला, रतलाम, शहडोल, शाजापुर एवं शिवपुरी

¹⁰ नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिका शहडोल एवं नगर पंचायत बड़वाड़ा

2.7.1 वित्त प्रवाह का विवरण

राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा प्राप्त कोष की प्राप्ति और व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति		कुल	व्यय	अंतिम शेष
		केन्द्रीय अंश	राज्य सरकार का अंश			
2006-07	13.94	23.88	7.96	45.78	24.64 (54%)	21.14
2007-08	21.14	31.20	10.40	62.74	40.68 (65%)	22.06
2008-09	22.06	47.23	15.74	85.03	37.96 (45%)	47.07
2009-10	47.07	44.08	14.70	105.85	50.56 (48%)	55.29
2010-11	55.29	45.70	15.23	116.22	49.12 (42%)	67.10

(स्तोत्र- आयुक्त UADD द्वारा दिये गये ऑकड़ों के अनुसार)

उपरोक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक व्यय राज्य में उपलब्ध कुल कोष के 42 प्रतिशत और 65 प्रतिशत के बीच रहा।

कोष का सर्वाधिक उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया क्योंकि अनुपयोगी शेष में 2006-07 से 2010-11 तक वृद्धि हुई।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि भारत सरकार से दूसरी किश्त जनवरी से मार्च के मध्य प्राप्त हुई जिसके कारण जिला नगरीय विकास अभिकरण और शहरी स्थानीय निकाय अनुदान का वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग करने में असमर्थ रहे।

2.7.2 जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खाते में राशि निष्क्रिय पड़ा रहना

सात जिलों के जिला शहरी विकास अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कोष का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कोष की राशि ₹ 2.07 करोड़ से ₹ 7.98 करोड़ वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में जिला शहरी विकास अभिकरणों के बैंक खातों में अवरोद्ध रही विवरण परिशिष्ट VI में दर्शाया गया है।

यह भी पाया गया कि परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण रतलाम द्वारा अनियमित रूप से राशि ₹ 25 लाख एक वर्ष की अवधि हेतु (जनवरी 2011 से जनवरी 2012) सावधि जमा के रूप में रखी गयी।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि अव्ययित राशि का जून 2012 तक उपयोग कर लिया जायेगा। नवम्बर 2012 में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से पुनः स्थिति की जानकारी मांगी गई किन्तु उत्तर अप्राप्त रहा।

योजना का क्रियान्वयन

2.8 शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (USEP)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 4 के अनुसार शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम धटक मुख्य रूप से लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत शहरी गरीब लाभार्थियों को सहायता (ऋण एवं सब्सिडी) उपलब्ध कराने और अन्य सहायता जैसे प्रौद्योगिकी विपणन, अवस्थापना की जानकारी प्रदान करने पर ध्यान देता है।

2.8.1 बैंकों द्वारा सब्सिडी का अनियमित समायोजन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिनांक 17.11.1997 को जारी निर्देश के पैरा 3 के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के सब्सिडी के प्रबंध हेतु सब्सिडी राशि उधार लेने वालों के संचित कोष में कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिये रखी जानी चाहिये। यह राशि ऋण खाता बंद होते समय समायोजित की जानी चाहिये।

पाँच जिलों के विभिन्न बैंकों के 51 ऋण प्रकरणों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 22 प्रकरणों में सब्सिडी की राशि 2 वर्ष के लॉक इन अवधि के पूर्व ही खाते में समायोजित की गयी जिसका विवरण परिशिष्ट VII में दर्शाया गया है। यह भी पाया गया कि उपरोक्त प्रकरणों में से किसी प्रकरण में सब्सिडी राशि समायोजित किये जाने के पश्चात भी ऋण प्रकरण बंद नहीं किये गये।

इंगित किये जाने पर पाँच बैंकों¹¹ के प्रबंधकों द्वारा कहा गया कि लगभग सभी ऋण प्राप्तकर्ता बकायादार हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जिला शहरी विकास अभिकरण तथा शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों द्वारा बैंकों को हितग्राहियों से ऋण की वसूली में सहयोग नहीं की गई।

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि बैंकिंग नियमों के अनुसार बैंकों द्वारा सब्सिडी को समायोजित किया गया है, आवश्यक होने पर बैंकों द्वारा ऋण की वसूली के लिये शहरी स्थानीय निकायों की सहायता ली जा सकती है।

सरकार का उत्तर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिये जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

2.8.2 हितग्राहियों के स्थायी अभिलेखों का संधारण न किया जाना

दिशा निर्देश के पैरा क्रमांक 4.2.8 के अनुसार मौजूदा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी एम ई जी पी) के साथ पुनरावृत्ति से बचने के लिए, योजना के शहरी स्व रोजगार कार्यक्रम धटक को गैर आर्थिक मापदण्ड के आधार पर प्रदत्त उच्च प्राथमिकता पर बल देते हुए गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों तक सीमित रखा जाए। लाभार्थियों

¹¹ पंजाब नेशनल बैंक छतरपुर, इलाहाबाद बैंक छतरपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा शिवपुरी, बैंक ऑफ इण्डिया शिवपुरी एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर रतलाम

की सूची पी एम ई जी पी को भी भागीदार बनाया जाये ताकि पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा भी फरवरी 2001 में निर्देश जारी किये गये कि प्रत्येक शहरी स्थानीय निकायों में प्रशिक्षित हितग्राहियों का एक रजिस्टर संधारित किया जाना चाहिये।

चार जिलों के परियोजना अधिकारी¹², जिला शहरी विकास अभिकरण तथा चार शहरी स्थानीय निकायों¹³ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के हितग्राहियों का रजिस्टर संधारित नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार ने उत्तर दिया कि हितग्राहियों के स्थायी अभिलेख संधारित किये जाने के लिये शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

2.9 शहरी महिला स्व-सहायता कार्यक्रम (यू.डब्ल्यू एस पी)

इस घटक में दो उप घटक हैं-

- (i) शहरी गरीब महिलाओं के समूह के लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यम की स्थापना हेतु सहायता यू डब्ल्यू एस पी (ऋण एवं आर्थिक सहायता)
- (ii) स्व-सहायता समूह (एस एच सी)/थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाईटी (टी एंड सी एस) हेतु आवर्ती निधि-यू डब्ल्यू एस पी (आवर्ती निधि)

2.9.1 शहरी महिला स्वसहायता कार्यक्रम का सही क्रियान्वयन न किया जाना

दिशा निर्देशों के पैरा 5.2.1 के अनुसार यह स्कीम शहरी गरीब महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने हेतु प्रतिष्ठित है जो समूह में स्व रोजगार उद्यम स्थापित करने का निगम लेती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये यू एस डब्ल्यू पी घटक का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक था।

मण्डला एवं शिवपुरी जिले के परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दोनों जिलों में महिला समूहों की सहायता हेतु वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में राशि ₹ 1.40 लाख तथा ₹ 0.82 लाख व्यय किये गये तथा दोनों जिलों में क्रमशः राशि ₹ 13.52 लाख तथा ₹ 32.49 लाख अव्ययित रही।

इंगित किये जाने पर परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण मंडला द्वारा उत्तर दिया गया कि राशि का उपयोग शासन से उचित निर्देश प्राप्त होने के उपरांत किया जायेगा परियोजना अधिकारी शिवपुरी द्वारा उत्तर दिया कि राशि का दिशा निर्देशों के अनुसार उपयोग किया जायेगा।

¹² होशांगाबाद, मंडला, शहडोल एवं शिवपुरी

¹³ नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिका शहडोल, नगर पंचायत बड़वाह एवं भैंसदेही

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि महिला समूहों में समन्वय के अभाव तथा बैंकों से उचित सहयोग प्राप्त न होने के कारण समूह नहीं बनाये जा सके।

2.9.2 बचत एवं साख समितियों का अनियमित संचालन

दिशा निर्देशों के पैरा 5.3.1 के अनुसार शहरी गरीब महिलाओं के स्व सहायता समूह के बचत एवं साख समितियों का गठन किया जाना है। आवर्ती निधि के रूप में अनुदान राशि ₹ 25000/- जारी की जानी थी जिसका उपयोग कच्चे माल की खरीद और विपणन, आय-सृजन और अन्य सामूहिक कार्यकलापों के लिए किया जाना था। इस संबंध में बचत एवं साख समूहों के गठन के लिये अखिल भारतीय स्थानीय शासन संस्थान, भोपाल द्वारा सितम्बर 2003 में विस्तृत निर्देश जारी किये गये।

शाजापुर तथा रतलाम जिले के परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण के अभिलेख की जांच में पाया गया कि दिशा निर्देश के प्रावधानों के अनुसार बचत एवं साख समूहों द्वारा निर्माण और विपणन हेतु ऋण वितरण नहीं किया गया।

निर्गम सम्मेलन में सरकार द्वारा यथोचित उत्तर देने के स्थान पर आवर्ती निधि के लिये अनुदान राशि स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया को पुनः बताया गया।

2.10 शहरी गरीबों को रोजगार वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण

दिशा निर्देशों के पैरा 6 के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के इस घटक में शहरी गरीबों के कौशल निर्माण/उन्नयन हेतु सहायता मुहैया कराने पर जोर दिया जायेगा ताकि वे स्वः रोजगार चलाने के साथ साथ बेहतर वेतन के रोजगार प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा सकें।

2.10.1 गैर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना

दिशा निर्देश के पैरा क्रमांक 6.4 के अनुसार कौशल प्रशिक्षण को प्राधिकृत करने और प्रमाणीकरण से सम्बद्ध किया जाए और आई आई टी, एन आई टी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंध संस्थान के योगदान से सार्वजनिक- निजी भागीदारी (पी पी पी) को प्राथमिकता दी जाए। शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिये जाने के लिये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिसम्बर 2000 में भी निर्देश जारी किये गये।

नमूना जांच किये गये जिलों¹⁴ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना के दिशा निर्देशों के विपरीत गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं के जनरल ट्रेड के माध्यम से प्रशिक्षण दिये गये।

निर्गम सम्मेलन के दौरान सरकार द्वारा कहा गया कि प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के अभाव तथा शासकीय संस्थानों में अपर्याप्त सीटों के कारण गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये।

¹⁴ बैतूल, छतरपुर, होशंगाबाद, मंडला, रतलाम एवं शिवपुरी

सरकार का उत्तर दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि प्रशिक्षण कार्यक्रम श्रेष्ठ संस्थाओं के माध्यम से किया जाना था।

2.11 शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क (यू सी डी एन)

दिशा निर्देशों के पैरा क्रमांक 8.1 के अनुसार योजना सामुदायिक विकास और अधिकारिता पर निर्भर होगी। टॉप-डाउन कार्यान्वयन की पारम्परिक विधि पर निर्भर होने के बजाए स्कीम सामुदायिक संगठनों और अवसंरचनाओं के गठन और पोषण पर निर्भर होनी चाहिये जिससे सतत शहरी गरीबी उपशमन में सहायता मिलेगी। इसके लिये लक्षित क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों जैसे निकटवर्ती दल (NHGs), निकटवर्ती समितियों (NHCs) और सामुदायिक विकास सोसाइटियों (CDS) को स्थापित किया जायेगा।

2.11.1 निधियों का व्यपवर्तन

दिशा निर्देशों के पैरा 8.5 के अनुसार शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क घटक के तहत सामुदायिक संरचनाओं तथा सामुदायिक विकास नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिये अलग से धनराशि जारी की जा सकती है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा भी इस घटक में उपलब्ध राशि का उपयोग, जागरूकता शिविर कार्यशालाओं, सामाजिक जागरूकता स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित गतिविधियों में किये जाने हेतु निर्देशित किया।

छः जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क में प्राप्त राशि को सार्वजनिक शौचालाओं, नालों एवं सफाई कार्यों पर व्यय हेतु परिवर्तित किया गया जो कि दिशा निर्देशों के प्रतिकूल था। लेखा परीक्षा अवधि में अनाधिकृत निर्माण कार्यों हेतु परिवर्तित की गयी निधियों का विवरण निम्न अनुसार है-

(रु.लाख में)

क्र.स	जिले का नाम	निर्माण कार्य की प्रकृति	कार्या की संख्या	नगरीय निकायों द्वारा किया गया व्यय
1	छत्तरपुर	सामुदायिक हॉल	06	23.00
2	होशंगाबाद	सार्वजनिक शौचालय	01	22.46
3	मण्डला	सार्वजनिक शौचालय और स्नागार	09	11.74
4	रतालाम	सार्वजनिक शौचालय, स्नागार और सामुदायिक हॉल	15	65.37
5	शाजापुर	सार्वजनिक शौचालय और सामुदायिक हॉल	13	31.71
6	शिवपुरी	सार्वजनिक शौचालयो	05	7.35
कुल			49	161.63

(स्रोत- लेखा परीक्षा हाफ मार्जिन के प्रतिउत्तर में DUDA द्वारा दी गई सूचना के आधार पर)

निर्गम सम्मेलन में सरकार ने उत्तर दिया कि सामुदायिक विकास सोसाइटियों के स्तर पर जन सुविधाओं के कार्य शहरी सामुदायिक विकास नेटवर्क घटक अंतर्गत किये जा सकते हैं।

उत्तर दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि इस घटक में उपलब्ध राशि का उपयोग सामुदायिक संरचनाओं के सुदृढीकरण के लिये किया जाना था न कि जन सुविधाओं के निर्माण कार्य हेतु।

2.11.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु सामुदायिक संगठनकर्त्ता को नहीं लगाया जाना

दिशा निर्देशों के पैरा 8.3 के अनुसार, सामुदायिक स्तर पर लगभग 2000 चिन्हित परिवारों हेतु एक सामुदायिक संगठनकर्त्ता लगाया जा सकता है। शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सामुदायिक संगठनकर्त्ता शहरी गरीबी समुदाय (सी डी एस द्वारा प्रस्तुत) और कार्यान्वयन मशीनरी अर्थात् शहरी गरीबी उपशमन प्रकोष्ठ के मध्य मुख्य कड़ी होगी। योजना की सफलता सामुदायिक संगठनकर्त्ता की प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

पांच जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि सामुदायिक संगठनकर्त्ताओं के 45 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 17 संगठनकर्त्ता पदस्थ किये गये।
विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

क्र.	जिले का नाम	जिलों में सामुदायिक संगठनकर्त्ता के स्वीकृत पद	पदस्थ सामुदायिक संगठनकर्त्ता
1	बैतूल	06	01
2	छतरपुर	15	03
3	रतलाम	11	07
4	शहडोल	06	03
5	शिवपुरी	07	03
	कुल	45	17

(स्रोत- जिला शहरी विकास अभिकरण द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक संगठनकर्त्ता नहीं लगाये गये जिसके परिणामस्वरूप योजना का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से नहीं हो सका।

2.12 निष्कर्ष:-

हितग्राहियों की पहचान हेतु उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया। जिला शहरी विकास अभिकरण और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु व्यापक कार्य योजना नहीं बनाई गई। राज्य और जिलों स्तर पर कोष उपयोग के अनुकूलतम प्रयास सुनिश्चित नहीं किये गये। ऋण प्रकरणों का उचित पर्यवेक्षण और अनुसरण नहीं किया गया। सब्सिडी की राशि दो वर्ष के अवधि पूर्ण होने के पहले ही खाते में समायोजित कर दी गई। लाभान्वितों का स्थायी अभिलेख नहीं रखा गया। प्रशिक्षित लाभान्वितों को रोजगार प्रदान करने का अभिलेख नहीं रखा गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किये गये। यू सी डी एन घटक के तहत दिया गया कोष सामुदायिक संरचना को मजबूत करने के बजाय अन्य निर्माण कार्यों में खर्च किया गया। केवल 38 प्रतिशत सामुदायिक सघटकों के मंजूर पदों को भरा गया जिसके परिणामस्वरूप योजना का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

2.13 अनुशंसायें

- शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर लाभान्वितों का घर-घर सर्वेक्षण किया जाए और उनका स्थायी अभिलेख रखा जाना चाहिये।
- शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु एक व्यापक कार्य योजना बनायी जानी चाहिये।
- केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान का उचित उपयोग राज्य, जिला और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थाओं जैसे आई टी आई, पॉलिटेक्निक इत्यादि के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये और प्रशिक्षित लाभान्वितों का अनुसरण कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।
- योजना के सभी संघटक शहरी स्थानीय निकाय के माध्यम से कार्यान्वित किये जाने आवश्यक हैं।

अध्याय- तृतीय

लेनदेनों की लेखा परीक्षा कंडिकाएँ (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग)

3.1 तेरहवें वित्त आयोग द्वारा शहरी/नगरीय स्थानीय निकायों को जारी तथा उपयोग किये गये अनुदान पर लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्यों की संचित निधि आवर्धन हेतु आवश्यक उपायों के लिये पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसायें की गईं। इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग ने नगरीय/शहरी स्थानीय निकायों के दोनों क्षेत्रों (सामान्य क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र) हेतु अनुदान की वर्ष 2010-15 की अवधि के लिये अनुशंसा की है। इन अनुदानों के अतिरिक्त वर्ष 2011-12 से उन राज्यों के लिए जो शर्तों को पूरा करते हैं, उनके लिए निष्पादन अनुदान जारी करने के लिए उपलब्ध होगा। भारत सरकार के दिशा निर्देश (सितम्बर 2010) के अनुसार सभी स्थानीय निकाय अनुदान को जारी करने के लिये लगायी गयी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में दो किस्तों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जुलाई एवं जनवरी में जारी किया जाना था।

भारत सरकार से मध्य प्रदेश सरकार को तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 2010-11 में प्राप्त अनुदान का विवरण परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग के वर्ष 2010-11 के अनुदान को जारी किये जाने एवं उपयोग किये जाने की जानकारी वित्त विभाग मध्यप्रदेश शासन, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल, नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद कोलार, भोपाल से प्राप्त की गयी। अनुदानों को जारी एवं उपयोग से संबंधी लेखा परीक्षा निष्कर्ष निम्नानुसार है:-

3.1.1 अनुदान के हस्तांतरण में विलंब

भारत सरकार के जारी आदेश (जुलाई-2010) के कंडिका-3 के अनुसार स्थानीय निकाय अनुदान की प्रथम किस्त भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी थी। भारत सरकार के रिलीज आदेश (मार्च 2011) के अनुसार अनुदान की द्वितीय किस्त बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर 05 दिन व 10 दिन के अंदर जारी की जानी थी। निर्धारित अवधि से अधिक विलंब से नगरीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित किये जाने की स्थिति में राज्य शासन को भारतीय रिजर्व बैंक दर के समान दर से नगरीय निकायों को किस्त के साथ ब्याज का भुगतान किया जाना था।

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2010-11 में सामान्य मूल अनुदान और विशेष क्षेत्र मूल अनुदान दिशा निर्देशों विपरीत निर्धारित समयावधि में जारी नहीं किया गया। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

अनुदान का नाम/किश्तों की संख्या	भारत सरकार से प्राप्त हुई राशि		कोषालय से आहरित की गई राशि (₹ करोड़ में)	स्थानीय निकायों को प्रदान की गई राशि		निश्चित अवधि के पश्चात नगरीय निकायों को प्रदान किया गया अनुदान/स्थानीय निकायों को देय ब्याज की राशि	
	दिनांक	राशि (₹ करोड़ में)		दिनांक	राशि (₹ करोड़ में)	दिन	ब्याज (रूपये में)
1	2	3	4	6	7	8	9
नगरीय स्थानीय निकाय							
1. सामान्य मूल अनुदान प्रथम किस्त	15.7.10	69.55	69.550	26.8.10	69.55	27 ¹⁵	30,86,877
2. विशेष क्षेत्र मूल अनुदान प्रथम किस्त	15.7.10	1.97	1.971	26.8.10	1.971	27	87,480
3. सामान्य मूल अनुदान द्वितीय किस्त	29.3.11	67.87	67.870	30.3.11	67.87	--	--
				टीप- भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने की वास्तविक दिनांक 30.03.11 थी जबकि कोषालय से राशि ₹ 67.87 करोड़ 31.03.11 को प्राप्त हुई जिससे ब्याज की गणना नहीं की जा सकी।			
1. विशेष क्षेत्र मूल अनुदान द्वितीय किस्त	30.3.11	1.97	1.570	20.4.11	1.57	16 ¹⁶	41,293
	कुल	141.36	140.961				32,15,650 या ₹ 32.16 लाख

स्रोत- (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर)

नमूना जांच किये गये कार्यालय के अभिलेखों की जांच एवं प्राप्त जानकारी की समीक्षा में पाया गया कि आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा सामान्य मूल अनुदान तथा विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की प्रथम किस्त स्थानीय निकायों को 27 दिन के विलंब से जारी की गयी। विशेष क्षेत्र मूल अनुदान की द्वितीय किस्त की राशि शहरी स्थानीय निकायों को 16 दिन के विलंब से जारी की गई। दिशा निर्देशों के अनुसार वित्त विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को भारतीय रिजर्व बैंक की दर से ब्याज राशि ₹ 32.16 लाख उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये अनुसार भुगतान किया जाना था। ब्याज राशि ₹ 32.16 लाख परिकलित की गयी विवरण उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

¹⁵ गणना 15 दिवस को छोड़कर की गई है।

¹⁶ गणना 05 दिवस को छोड़कर की गई है।

3.1.2 भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना

तेरहवें वित्त आयोग की दिशा निर्देशानुसार पैरा 6.2 के अनुसार तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान राशि का जारी किया जाना पूर्व आहरित किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर होगा।

नमूना जांच की गई इकाईयों के अभिलेखों की जांच (अगस्त 2011) में पाया गया कि उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 2010-11 में शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित अनुदान (परिशिष्ट-VIII) राशि ₹ 140.96 करोड़ की वास्तविक उपयोग को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को सूचित नहीं किया गया। यह भी ज्ञात हुआ कि वर्ष 2010-11 में किसी भी नमूना जांच किये गये इकाई द्वारा 13वें वित्त आयोग अनुदान के उपयोग की जानकारी सूचित नहीं किया गया।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा (अगस्त 2011) उत्तर दिया कि शहरी स्थानीय निकायों को उनके द्वारा व्यय किये गये अनुदान की गतिविधि वार व्यय की जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। अगस्त 2012 तक स्थिति यथावत रही।

3.1.3 निगरानी एवं मूल्यांकन की कमी

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में वित्त विभाग द्वारा मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति जुलाई 2010 में गठित की गयी। समिति का उद्देश्य अनुदान की प्रत्येक श्रेणी पर लागू शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना था। उच्च स्तरीय समिति की बैठक तीन माह में एक बार आयोजित की जानी थी।

यह पाया गया कि माह जनवरी 2011 तक उच्च स्तरीय समिति की मात्र दो बैठकें माह जुलाई 2010 एवं दिसम्बर 2010 में आयोजित की गईं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुदान के उचित उपयोग हेतु निगरानी एवं मूल्यांकन व्यवस्था की कमी थी।

3.1.4 निष्कर्ष

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से राज्य शासन को प्राप्त स्थानीय निकाय अनुदान राशि को शहरी स्थानीय निकायों को निर्धारित अवधि में हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे शासन पर शहरी स्थानीय निकायों को भुगतान किये जाने के लिये ब्याज राशि के रूप में ₹ 32.16 लाख की देयतायें निर्मित हुईं। शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित अनुदान राशि का उपयोग सुनिश्चित नहीं किया गया। अनुदान के वास्तविक उपयोग को भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया (अगस्त 2011)। इससे अगले वर्ष 2011-12 के लिये भारत सरकार से राज्य शासन के प्राप्त होने वाले निष्पादन अनुदान प्रभावित होगा।

3.2 व्यवसायिक दुकानों के आवंटन न किये जाने से राशि ₹ 2.68 करोड़ की राजस्व की हानि

अधिनियम के प्रावधानों का पालन न किये जाने से 102 दुकानें आवंटित नहीं की जा सकी परिणामस्वरूप नगर पालिका निगम रतलाम को राशि ₹ 2.68 करोड़ राजस्व की हानि हुई।

मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 80 में दिये गये अधिकारों को उपयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम (अचल संपत्ति का हस्तांतरण) नियम, 1994 बनाया गया। उपरोक्त नियमावली के नियम 3 के अनुसार राजस्व अर्जित करने वाली अचल संपत्ति को लोक निविदा द्वारा सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को बेचा या हस्तांतरित किया जा सकता है, या सील बंद प्रस्ताव आमंत्रित किये जा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में सरकार की पूर्व अनुमती लेना आवश्यक है।

नगर पालिका निगम रतलाम के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2008) में पाया गया कि निगम की स्वयं की निधियों से 104 दुकानों का निर्माण जिसमें दो दुकाने विद्युत उपयोग हेतु आरक्षित थी राशि ₹1.17 करोड़ की लागत से बस स्टैण्ड रतलाम के पास सुभाष चंद्र बोस शॉपिंग काम्पलेक्स 1999 में किया गया। दुकानों के विक्रय के लिये उपरोक्त नियमों का पालन न करते हुये उसके स्थान पर निगम ने जुलाई 1995 में एक मुश्त राशि जमा करने वालों को पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर दुकानों के आवंटन का निर्णय लिया। इस संदर्भ में 34 आवेदकों ने प्रति आवेदक ₹ 60,000/70,000 के मान से कुल राशि ₹ 21.60 लाख एक मुश्त राशि जमा की जबकि 78 आवेदकों ने पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹10,000/- प्रति आवेदक के मान से राशि ₹ 7.80 लाख जमा की गई। नगर निगम ने दिसम्बर 2001 में शासन से अपनी नीति का अनुमोदन प्राप्त करने का निर्णय लिया। यह भी देखा गया कि जुलाई 1995 में दुकानों को किराये पर देने के लिये किराये का निर्धारण 46 ऊपरी तल की दुकानों का ₹ 300 प्रतिमाह की दर से तथा 56 निचली मंजिल की दुकानों का 200 प्रतिमाह की दर से निश्चित किया गया। अप्रैल 2006 में नगर निगम द्वारा गठित समिति के द्वारा 102 दुकानों¹⁷ का ऑफ सेट मूल्य ₹ 2.25 लाख प्रति दुकान की अनुशंसा की गई साथ ही शॉपिंग कॉम्पलेक्स में दुकान की स्थिति के अनुसार किराये की विभिन्न श्रेणियाँ निर्धारित की गयी। दुकानों के आवंटन से संबंधित राज्य सरकार का अंतिम निर्णय अभी भी लंबित है जिससे नगर निगम रतलाम को राशि ₹ 2.68 करोड़ (₹ 2.30 करोड़ ऑफसेट मूल्य तथा ₹ 59.87 लाख¹⁸ किराये में से राशि ₹ 21.60 लाख आवेदकों द्वारा जमा एकमुश्त राशि कम करने पर) की हानि हुई।

¹⁷ प्रति दुकान राशि ₹ 225400*102दुकान=22990800

¹⁸ किराया-

1.1.2000 से 31.4.2006	76 माह	46 दुकानें	₹ 300 प्रतिमाह	₹ 10,48,800
1.1.2000 से 31.4.2006	76 माह	56 दुकानें	₹ 200 प्रतिमाह	₹ 8,51,200

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर आयुक्त नगर निगम रतलाम द्वारा (जुलाई 2008 तथा मार्च 2011) में स्वीकार किया गया कि दुकानों का आधिपत्य नहीं दिया जा सका क्योंकि दुकानों का आवंटन मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम (अचल सम्पत्तियों का हस्तांतरण) नियम 1994 के नियम 3 के अनुसार नहीं किया गया। यह प्रकरण राज्य सरकार के मार्गदर्शन के लिये भेजा गया है और सरकार के मार्गदर्शन के पश्चात ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा। सरकार का निर्णय अभी भी लंबित है।

इस प्रकार दुकान आवंटन के प्रावधानों का पालन न किये जाने से तथा प्रकरण में सरकार का मार्गदर्शन प्राप्त करने में उदासीन रवैया अपनाने जाने के कारण निर्माण दिनांक से 11 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद भी दुकानों का आवंटन नहीं किया जा सका जिससे ₹ 2.90 करोड़ की राजस्व की हानि हुई।

प्रकरण शासन को जून 2011 और नवंबर 2012 में प्रतिवेदित किया गया किन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	28 दुकानें	₹ 800 प्रतिमाह	₹ 13,66,400
1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	18 दुकानें	₹ 700 प्रतिमाह	₹ 7,68,600
1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	40 दुकानें	₹ 600 प्रतिमाह	₹ 14,64,000
1.5.2006 से 31.5.2011	61 माह	16 दुकानें	₹ 500 प्रतिमाह	₹ 4,88,000
कुल				₹ 59,87,000

भाग-2 पंचायती राज संस्थायें

अध्याय – प्रथम

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा प्रक्रियाओं सहित वित्त पर विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना-

सबसे निम्नतम स्तर पर स्वायत्तता को बढ़ावा देने और लोगों को ग्राम सभा से जुड़े विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं पहचान दिलाने हेतु 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 243(छ) के प्रावधानों के अधीन रहते हुये राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक समझे और ऐसा नियम अधिकारों एवं शक्तियों के उचित स्तर पर पंचायतों को हस्तांतरण के लिये विनिर्दिष्ट की जाये। निम्नलिखित के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिये उपबंध किये जा सकेंगे-

(क) सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिये योजनाएँ तैयार करना।

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं को, जो उन्हें सौंपी जाये, जिसके अंतर्गत वे स्कीमों में भी है जो ग्यारहवीं अनुसूची¹⁹ में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं, को क्रियान्वित करना।

इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 243(ज) के प्रावधानों के अनुसार राज्य का विधान मण्डल:-

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसी सीमाओं के अधीन रहते हुये, ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उद्गृहीत, संगृहित और विनियोजित करने के लिये किसी पंचायत को प्राधिकृत कर सकेगा।

(ख) ऐसे प्रयोजनों के लिये और ऐसी शर्तें तथा सीमाओं के अधीन रहते हुये राज्य सरकार द्वारा उद्गृहीत और संगृहित ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को नियत कर सकेगा।

(ग) पंचायतों के लिये राज्य की संचित निधि में से ऐसे सहायता- अनुदान देने के लिये उपबंध कर सकेगा, और

(घ) पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनों के जमा करने के लिये ऐसी निधियों का गठन तथा ऐसी निधियों में से धन का प्रत्याहरण करने के लिये भी उपबंध कर सकेगा जो विधि में विनिर्दिष्ट किये जाये या की जाये।

इस प्रकार राज्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993, एक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था स्थापित की गई।

¹⁹ 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुच्छेद 243 जी एवं एच

- जिला हेतु जिला पंचायत
- ब्लाक हेतु जनपद पंचायत एवं
- ग्राम हेतु ग्राम पंचायत.

वर्तमान में राज्य में 50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत और 23010 ग्राम पंचायतें हैं।

मध्यप्रदेश राज्य की सामान्य जानकारी निम्नानुसार है:-

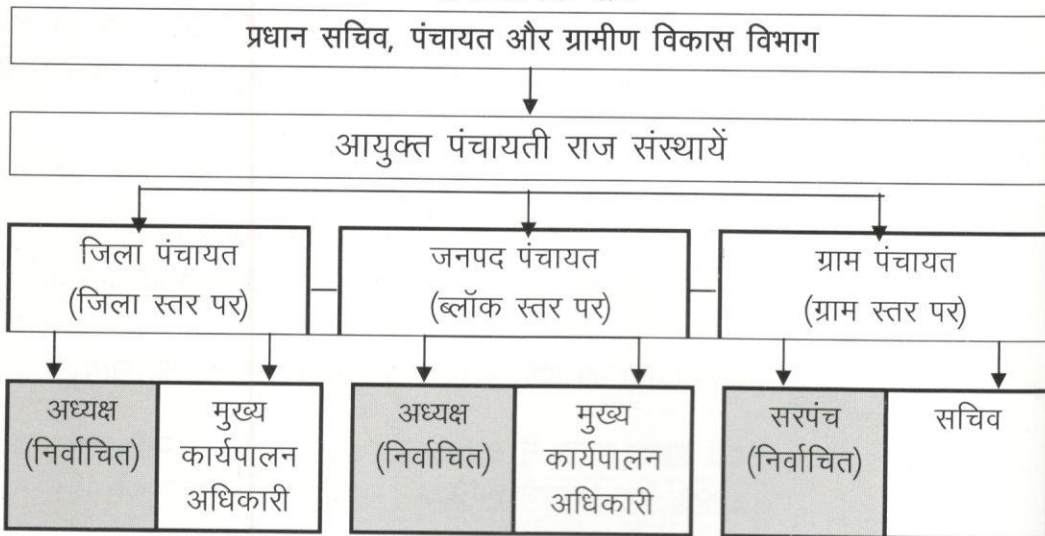
	इकाई	राज्य के आंकड़े	संपूर्ण भारत के आंकड़े
जनसंख्या	करोड़	7.26	121.02
देश की जनसंख्या में भाग	प्रतिशत	6.00	--
ग्रामीण जनसंख्या	करोड़	5.25	83.31
ग्रामीण जनसंख्या का भाग	प्रतिशत	72.00	68.84
राज्य का जनसंख्या घनत्व	प्रति वर्ग कि०मी०	236.00	382.00
राज्य की साक्षरता दर	प्रतिशत	71.00	74.00
राज्य का लिंग अनुपात	अनुपात	930/1000	940/1000

स्रोत- अस्थायी जनगणना 2011

1.2 प्रशासनिक व्यवस्थायें

पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अध्याय 3 के अनुसार सभी पंचायती राज संस्थायें स्वतंत्र कानूनी निकाय हैं जो राज्य सरकार की निगरानी के अधीन नियमों तथा अधिनियमों द्वारा प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करेंगी। राज्य में (जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर) पर संठनात्मक संरचना नीचे दिया गया है-

संगठनात्मक चार्ट



1.3 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

क्र.	पंचायती राज संस्थायें	उत्तरदायित्व
1	जिला पंचायत	जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में समन्वय, मूल्यांकन और गतिविधियों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन
2	जनपद पंचायत	राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को एवं कार्यकारी एजेन्सियों द्वारा दिये गये विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्ट को ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित करना, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण और प्रबंधन करना आदि
3	ग्राम पंचायत	योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना एवं कानून के तहत प्रदान किये गये प्रोजेक्ट कार्य और केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या जिला पंचायत या जनपद पंचायत द्वारा दिये गये

<p>जिला पंचायत की स्थायी समिति</p> <p>अ- सामान्य प्रशासन ब- कृषि समिति स- शिक्षा समिति द- सम्प्रेषण और कार्य समिति इ- सहयोग और औद्योगिक समिति</p>	<p>जनपद पंचायत की स्थायी समिति</p> <p>अ- सामान्य प्रशासन ब- कृषि समिति स- शिक्षा समिति द- सम्प्रेषण और कार्य समिति इ- सहयोग और औद्योगिक समिति</p>	<p>ग्राम पंचायत की स्थायी समिति</p> <p>अ- सामान्य प्रशासन ब- विनिर्माण एवं विकास समिति स- शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति</p>
---	---	---

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र

राज्य में 23373 पंचायती राज संस्थाओं (50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत और 23010 ग्राम पंचायतें) में से 454 पंचायती राज संस्थाओं (12 जिला पंचायत, 97 जनपद पंचायत और 345 ग्राम पंचायत) के अभिलेखों की जांच वर्ष 2010-11 के दौरान की गई।

1.5 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखाओं का संधारण

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों के लेखों एवं बजट को तैयार करने के लिए निर्धारित प्रारूप भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा। इसी प्रकार तेरहवें वित्त आयोग ने अनुशंसित किया है कि सभी राज्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये

लेखा खाता फ्रेमवर्क और कोडीकरण पद्धति को मॉडल पंचायत लेखा प्रणाली सहित 1 अप्रैल 2010 से अपनाये।

12 जिला पंचायतों, 97 जनपद पंचायतों और 345 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 के दौरान विभिन्न स्तर पर किसी भी पंचायती राज संस्था द्वारा निर्धारित प्रारूप में लेखों को नहीं रखा गया।

इंगित करने पर आयुक्त पंचायती राज संस्था ने अगस्त 2012 में उत्तर दिया कि निर्धारित प्रारूप में लेखों का संधारण वर्ष 2011-12 में प्रक्रियाधीन है।

1.6 लेखापरीक्षा व्यवस्थायें

ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निदेशक, स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा (डी.एल.एफ.ए.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन लायी गयी (नवंबर 2001)। इसी प्रकार 12 जिला पंचायतों, 97 जनपद पंचायतों और 345 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा जैसा कि परिशिष्ट-IX में दिया गया है, वर्ष 2010-11 के दौरान की गई और निरीक्षण रिपोर्ट डी.एल.एफ.ए. के तकनीकी मार्गदर्शन हेतु भेज दी गई है।

पैरा 10.121 में तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों (पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर) हेतु लेखा परीक्षा पद्धति आवश्यक रूप से स्थापित की जाना थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को प्रत्येक स्तर पर सभी स्थानीय निकायों हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण आवश्यक रूप से देना तथा उनकी वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संचालक/आयुक्त डी.एल.एफ.ए. का वार्षिक प्रतिवेदन आवश्यक रूप से राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना था। तदनुसार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 को जुलाई 2011 में संशोधित किया गया। डी एल एफ ए की पहली वार्षिक रिपोर्ट नवंबर 2012 तक की प्रक्रिया में थी।

1.7 राजस्व के स्रोत

अनुच्छेद 63 और 64 के अनुसार स्थानीय निकायों के राजस्व के मुख्य रूप से दो मुख्य स्रोत हैं। (i) शासकीय अनुदान और (ii) स्वयं का राजस्व पंचायती राज संस्थाओं के स्वयं के राजस्व संसाधनों में कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं। शासकीय अनुदानों में राज्य वित्त आयोग (एस एफ सी), केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निधियाँ, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय वित्त आयोग तथा राज्य और भारत सरकार का अंश आती है।

1.8 पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तियाँ और व्यय

भारत सरकार की योजनाओं में केन्द्रांश तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप अनुदान सहित बजट के माध्यम से राज्य शासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए आवंटित निधि (राज्य का कर, राजस्व में से हिस्सा, योजना निधि और अनुदान आदि) निम्नानुसार था:-

क्र.	अनुदान				वास्तविक व्यय			बचत (5-8)
	वर्ष	राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	2006-07	2719.84	5.76	2725.60	2241.23	0.04	2241.27	484.43
2.	2007-08	3221.86	3.04	3224.90	2996.51	3.03	2999.54	225.46
3.	2008-09	3985.44	2.04	3987.48	3125.25	0.03	3125.28	862.20
4.	2009-10	4942.02	7.02	4949.04	4038.20	5.01	4043.21	905.83
5.	2010-11	6585.74	231.40	6817.14	5678.75	198.65	5877.40	939.74

(स्रोत- विनियोग लेखों से संकलित)

सभी पंचायती राज संस्थाओं की प्राप्तिyaँ एवं व्यय के ब्यौरे, पंचायती राज निदेशालय स्तर पर संधारित नहीं किये गये।

इंगित किये जाने पर आयुक्त, पंचायती राज ने अक्टूबर 2011 और नवम्बर 2012 में उत्तर दिया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों से कर संग्रहण की जानकारी निदेशालय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी।

1.9 राज्य वित्त आयोग के अनुदान का हस्तांतरण

संविधान के अनुच्छेद 243 (डब्लू) के अंतर्गत राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे एक राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान संशोधन अधिनियम के जारी होने के एक वर्ष के अंदर करें और इसके पश्चात पाँच वर्ष के समाप्त होने पर नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा करें और निधियों के हस्तांतरण हेतु राज्यपाल को अनुशंसा करें।

तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा फरवरी 2010 में राज्य सरकार द्वारा अपनायी गई। तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसानुरूप राज्य सरकार का पिछले वर्ष का विखण्डित चार प्रतिशत कर राजस्व²⁰ पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किया जाएगा जो कि विभाजित निधि में एकत्रित किया जायेगा जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण तथा स्वयं के कर संग्रहण के आधार पर हिस्सा दिया जायेगा।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2010-11 में देय राशि तथा वास्तविक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को दी गई राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकार के स्वयं का कर राजस्व (विभाजकीय कोष)	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निधि हस्तांतरण	राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को निधि हस्तांतरण	कम जारी किया जाना
2010-11	13960.22	558.41	490.94	67.47

(स्रोत- वित्त लेखे 2009-10 ओर पी.आर.आई द्वारा दी गई सूचना के आधार पर)

²⁰ विभाज्य कर राजस्व का अर्थ पिछले वर्ष के कुल राजस्व में से कर संग्रह पर होने वाले 10 प्रतिशत व्यय एवं पंचायती राज संस्थाओं तथा नगरीय निकायों को सौंपे गये राजस्व को घटाने के बाद शेष राशि

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर पी.आर.आई को निधि (₹ 67.47 करोड़) हस्तांतरित नहीं किये गये।

1.10 बैंक समाशोधन विवरण तैयार न करना

मध्य प्रदेश जनपद पंचायत लेखा नियम 1999 के नियम 25-26 के अनुसार रोकड़ बही और बैंक खातों के शेष राशि के अंतर का समाधान पत्रक प्रत्येक महीने तैयार किया जाना चाहिये।

चार पंचायती राज संस्थाओं²¹ के अभिलेखों (वर्ष 2010-11) की नमूना जांच में पाया गया कि रोकड़वही और बैंक खातों के शेष अंतर की राशि ₹ 25.10 करोड़ थी जिसका बैंक समाधान पत्रक तैयार नहीं किया गया, विस्तृत विवरण परिशिष्ट X में वर्णित है जो नियमों के विरुद्ध था।

1.11 लेखापरीक्षा की लंबित कंडिकाओं की स्थिति

तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था के अनुसार डी.एल.एफ.ए. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) के निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं का निराकरण इस प्रकार करेगा जैसे वह उनकी स्वयं का प्रतिवेदन हो।

महालेखाकार के पंचायती राज संस्थाओं के निरीक्षण प्रतिवेदनों की लंबित कंडिकाओं की स्थिति नीचे दी गई है-

क्र.	वित्तीय वर्ष	पंचायती राज संस्थान				
		पूर्व की कंडिकाओं की स्थिति	लंबित की	कंडिकायें जुड़ी	कंडिकाओं का निराकरण	शेष लंबित कंडिकायें
1	2006-07		2824	3029	निरंक	5853
2	2007-08		5853	3877	07	9723
3	2008-09		9723	1544	31	11236
4	2009-10		11236	1171	निरंक	12407
5	2010-11		12407	1621	465	13563

स्रोत- (स्थानीय निकाय विंग की मासिक बकाया प्रतिवेदन)

डी.एल.एफ.ए. से नियमित पत्राचार के बावजूद लंबित कंडिकाओं का डी.एल.एफ.ए. द्वारा निराकरण नहीं किया गया।

1.12 निष्कर्ष-

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप में तैयार नहीं किये गये पंचायती राज संस्थाओं के प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़े संचालनालय स्तर पर संकलित नहीं किये गये। राज्य सरकार द्वारा तीसरे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर निधियों का हस्तांतरण नहीं किया गया। डी.एल.एफ.ए. द्वारा लंबित कंडिकाओं के निपटारे हेतु सक्रिय कार्यवाही नहीं की गयी।

²¹ जिला पंचायत छिन्दवाड़ा एवं उज्जैन, जनपद पंचायत पन्नागर(जबलपुर) एवं खण्डाडाना

द्वितीय-अध्याय

लेनदेनों की लेखा परीक्षा
(पंचायती राज संस्थायें)**2.1** तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान का पंचायती राज संस्थाओं को जारी किया जाना एवं उसका उपयोग का लेखा परीक्षा निष्कर्ष

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य की संचित निधि के आवर्धन के लिए पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को संसाधनों की पूर्ति हेतु तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई है। इस संबंध में तेरहवें वित्त आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं हेतु (वर्ष 2010-15) की अवधि के लिये अनुदान की अनुशंसा की है। इस अनुदान के अतिरिक्त उन राज्यों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान वर्ष 2011-12 से उपलब्ध होगा जो उसके जारी होने के शर्तों का पालन करेगा। भारत सरकार के (सितम्बर 2010) के दिशा निर्देशों अनुसार सभी स्थानीय निकायों को दिये जाने वाला अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में जुलाई और जनवरी में जारी किये जायेगा। बशर्तें इसके लिये जारी शर्तों की पूर्ति कर ली गई हो।

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वर्ष 2010-11 में दिये गये अनुदान परिशिष्ट-XI में दिया गया है।

इस संबंध में सूचना वित्त विभाग म0प्र0 शासन, आयुक्त पंचायती राज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फंदा और बैरसिया (भोपाल) द्वारा वर्ष 2010-11 की अवधि में संग्रहित की गई। अनुदान के स्थानांतरण एवं उपयोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं-

2.1.1 अनुदान विलम्ब से स्थानान्तरित करना

भारत सरकार के जारी आदेश (जुलाई-2010) के कंडिका-3 के अनुसार स्थानीय निकाय अनुदान की प्रथम किस्त भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी थी। भारत सरकार के द्वारा जारी आदेश (मार्च 2011) के अनुसार अनुदान की द्वितीय किस्त बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर 05 दिन व 10 दिन के अंदर जारी की जानी थी। निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब से नगरीय निकायों को अनुदान हस्तांतरित किये जाने की स्थिति में राज्य शासन को भारतीय रिजर्व बैंक दर के समान दर से नगरीय निकायों को किस्त के साथ ब्याज का भुगतान किया जाना था। सामान्य मूल अनुदान और विशेष क्षेत्र मूल अनुदान, दिशा निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2010-11 की अवधि में विनिर्दिष्ट समय पर जारी नहीं किया गया जिसको निम्नवत सारणी में दर्शाया गया है।

अनुदान का नाम/किस्त की संख्या	भारत सरकार से प्राप्त राशि		कोषालय से आहरित की गई राशि (₹करोड़ में)	स्थानीय निकाय को हस्तांतरित राशि		स्थानीय निकाय को प्राप्त अनुदान का विलम्ब से हस्तांतरण/ स्थानीय निकाय को देय ब्याज की राशि	
	दिनांक	राशि (₹करोड़ में)		दिनांक	राशि (₹करोड़ में)	दिन	ब्याज (₹करोड़ में)
सामान्य मूल अनुदान/प्रथम किस्त	15.7.10	191.52	191.550	13.9.10 22.3.11	145.21 46.34	45 ²² 235	1.07 1.79
विशेष क्षेत्र मूल अनुदान/प्रथम किस्त	15.7.10	11.28	11.284	13.9.10	11.284	45	0.08
सामान्य मूल अनुदान/द्वितीय किस्त	30.3.11	186.90	191.490	इस संबंध में भारत सरकार को न तो प्रमाण पत्र ही भेजा गया और न ही लेखापरीक्षा को सूचना उपलब्ध करायी गयी। जिससे ब्याज की गणना नहीं किया जा सका।			
विशेष क्षेत्र मूल अनुदान/द्वितीय किस्त	30.3.11	11.28	8.630				
कुल योग		400.98	402.954				2.94

(स्रोत- वित्त विभाग और पी.आर.डी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर)

दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार भारत सरकार को एक प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा जिसमें अनुदान प्राप्ति के दिनांक, राशि एवं इसे पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरण का विवरण अंकित होगा। परन्तु आयुक्त पंचायती राज ने भारत सरकार को 13वें वित्त आयोग की द्वितीय किस्त की वर्ष 2010-11 में वित्त विभाग के माध्यम से ऐसा प्रमाण पत्र नहीं प्रेषित किया। इस स्थिति में लेखा परीक्षा द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदान निर्धारित अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को स्थानान्तरित कर दिया गया।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2011 और नवम्बर 2012) आयुक्त पंचायती राज संस्थाएँ ने उत्तर दिया कि विलम्ब अवधि का ब्याज राशि ₹ 2.95 करोड़ की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त होना लंबित है।

2.1.2 बैंक खाते में अनुदान का अनियमित रूप से जमा होना

तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत 15 जुलाई 2010 को जारी स्वीकृति आदेश के पैरा 3 के अनुसार भारत सरकार से अनुदान प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर दिया जाए।

आयुक्त पंचायती राज के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा सामान्य मूल अनुदान की प्रथम किस्त राशि ₹ 191.52 करोड़, वर्ष 2010-11 के लिए जुलाई 2010 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु जारी किया गया। इस आदेश के तारतम्य में आयुक्त पंचायती राज ने राशि ₹ 191.55 करोड़ कोषालय से आहरण किया परन्तु राशि ₹ 145.21 करोड़ ई-बैंकिंग के माध्यम से ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण किया। शेष राशि ₹ 46.34 करोड़, आयुक्त पंचायती राज ने ई-पंचायत योजना के कार्यान्वयन हेतु बैंक खाते में अनियमित रूप से जमा रखा। बाद में दिनांक 22 मार्च 2011 को आयुक्त पंचायती राज ने इस राशि को ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण करने के स्थान पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के खाते में जमा कर दिया।

इंगित करने पर (अगस्त 2011) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल ने जबाब दिया कि सरकार के निर्देशों की प्रतीक्षा में राशि बैंक खाते में अनुपयोगी पड़ा हुआ है।

इस प्रकार, आयुक्त पंचायती राज के खाते में राशि ₹ 46.34 करोड़ 235 दिनों तक रखे जाने के परिणामस्वरूप ब्याज राशि ₹ 1.79 करोड़ अपरिहार्य देयता राज्य सरकार पर बनती है। यह राशि अभी भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के खाते में पड़ी हुई है।

2.1.3 भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

दिशा-निर्देशों के पैरा 6.2 के अनुसार, तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान की कोई भी किस्त पिछली किस्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगी।

अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2011) में पाया गया कि वर्ष 2010-11 (परिशिष्ट - XI) के दौरान अनुदान राशि ₹ 402.95 करोड़ ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया, परन्तु आयुक्त पंचायती राज द्वारा वित्त विभाग के माध्यम से भारत सरकार को अनुदान के वास्तविक उपयोग प्रस्तुत नहीं किया गया। यह भी पाया गया कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र, किसी भी नमूना जांच की गई इकाई द्वारा सूचित नहीं किया गया। नवम्बर 2012 में इस सम्बंध में आयुक्त पंचायती राज से अद्यतन स्थिति मांगी गई लेकिन जबाब प्रतीक्षित है।

2.1.4 पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्था में कमी।

तेरहवें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में प्रत्येक श्रेणी के अनुदानों की शर्तों का पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु, जहां आवश्यक हो, राज्य शासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन (जुलाई 2010) वित्त विभाग द्वारा किया गया। उच्च स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य किया जाना था।

यह पाया गया कि केवल दो उच्च स्तरीय बैठक (जुलाई 2010 और दिसम्बर 2010) जनवरी 2011 तक आयोजित हुई जिससे स्पष्ट है कि अनुदान के वास्तविक उपयोग हेतु पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्था में कमी रही।

2.1.5 निष्कर्ष:-

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार से राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के लिए दिये जाने वाला अनुदान पंचायती राज संरचनाओं को निर्धारित अवधि में हस्तांतरित नहीं किया गया जिससे राज्य सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को ब्याज ₹ 2.95 करोड़ का दायित्व निर्मित हुआ। सामान्य मूल अनुदान राशि ₹ 46.34 करोड़ अनियमित रूप से ग्राम पंचायतों की बजाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई। पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित अनुदान के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया गया। प्रभावी पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन व्यवस्था के अभाव में स्थानीय निकाय और उनकी गतिविधियों के अनुसार व्यय किये गये अनुदान का लेखा किसी भी स्तर तक उपलब्ध नहीं था। फलस्वरूप अनुदान के वास्तविक उपयोग भारत सरकार को प्रतिवेदित नहीं किया गया। स्थानीय निकायों को स्थानांतरित एवं उनके द्वारा उपयोग किये गये अनुदानों की यह स्थिति भारत सरकार द्वारा आगामी वर्ष (2011-12) में जारी किये जाने वाले निष्पादन अनुदान को प्रभावित कर सकती है।

दिनांक: २८/०५/२०१३

स्थान: ग्वालियर



(जे.आर.मीणा)

उपमहालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र ले.प. प्रथम)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक २८/०५/२०१३

स्थान:- ग्वालियर



(के.के.श्रीवास्तव)

प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र ले.प.)

परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ: कंडिका 1.3 (भाग -प्रथम)पृष्ठ क्र. -2)

वर्ष 2010-11 में लेखा परीक्षित नगर निगमों की सूची:-

स.क्र.	नगर निगमों के नाम
1	नगर निगम इन्दौर
2	नगर निगम खंडवा
3	नगर निगम बुरहानपुर
4	नगर निगम भोपाल
5	नगर निगम जबलपुर
6	नगर निगम रीवा
7	नगर निगम सतना
8	नगर निगम सिंगरौली
9	नगर निगम रतलाम

वर्ष 2010-11 में लेखा परीक्षित नगर पालिकाओं की सूची

स.क्र.	नगर पालिका का नाम
1	नगर पालिका श्योपुर
2	नगर पालिका शिवपुरी
3	नगर पालिका राधोगढ़, गुना
4	नगर पालिका अशोकनगर
5	नगर पालिका चंदेरी, अशोकनगर
6	नगर पालिका मंदसौर
7	नगर पालिका नीमच
8	नगर पालिका नामडा, उज्जैन
9	नगर पालिका पीथमपुर, धार
10	नगर पालिका रायसेन
11	नगर पालिका ब्यावरा, राजगढ़
12	नगर पालिका दमोह
13	नगर पालिका पन्ना
14	नगर पालिका टीकमगढ़
15	नगर पालिका तामिया, छिन्दवाड़ा
16	नगर पालिका सिवनी
17	नगर पालिका शहडोल
18	नगर पालिका मौगंज, रीवा
19	नगर पालिका सैंधवा बड़वानी
20	नगर पालिका वालाघाट
21	नगर पालिका विदिशा

22	नगर पालिका गढ़ाकोटा सागर
23	नगर पालिका खुरई, सागर
24	नगर पालिका बीना, सागर
25	नगर पालिका झाबुआ
26	नगर पालिका अलीराजपुर
27	नगर पालिका जुनारदेव, छिंदवाड़ा

वर्ष 2010-11 में लेखा परीक्षित नगर परिषदों की सूची:-

स.क्र.	नगर परिषद (पंचायत)
1	नगर परिषद आंतरी ग्वालियर
2	नगर परिषद करेरा शिवपुरी
3	नगर परिषद खनियाधाना शिवपुरी
4	नगर परिषद मुंगावली, अशोकनगर
5	नगर परिषद बडौदा, श्यौपुर
6	नगर परिषद मऊ, भिण्ड
7	नगर परिषद बागली, देवास
8	नगर परिषद भोरसा, देवास
9	नगर परिषद हथपिपरिया, देवास
10	नगर परिषद कांटाफोड़, देवास
11	नगर परिषद टोंकखुर्द, देवास
12	नगर परिषद पिपलरवा, देवास
13	नगर परिषद , अकोडिया, शाजापुर
14	नगर परिषद बडागांव, शाजापुर
15	नगर परिषद भानपुर, मंदसौर
16	नगर परिषद गरोठ, मंदसौर
17	नगर परिषद श्यामगढ़, मंदसौर
18	नगर परिषद जीरन, नीमच
19	नगर परिषद रतनगढ़, नीमच
20	नगर परिषद सिंगौली, नीमच
21	नगर परिषद हटोड, इंदौर
22	नगर परिषद मानपुर इंदौर
23	नगर परिषद धमनोड, धार
24	नगर परिषद राजगढ़, धार
25	नगर परिषद पेटलाबाद, झाबुआ
26	नगर परिषद भीकनगाँव, खरगौन
27	नगर परिषद ओंकारेश्वर, खरगौन
28	नगर परिषद सिथौली, राजगढ़
29	नगर परिषद मचलपुर, राजगढ़

30	नगर परिषद खिड़किया, हरदा
31	नगर परिषद तेंदुखेडा, दमोह
32	नगर परिषद अजयगढ, पन्ना
33	नगर परिषद अमनगंज, पन्ना
34	नगर परिषद काकरहाटी, पन्ना
35	नगर परिषद पवई, पन्ना
36	नगर परिषद चांदला, छत्तरपुर
37	नगर परिषद बडागाँव, टीकमगढ
38	नगर परिषद निवाडी, टीकमगढ
39	नगर परिषद जतारा, टीकमगढ
40	नगर परिषद लिंगोराखास, टीकमगढ
41	नगर परिषद चादमेटा, छिंदवाडा
42	नगर परिषद न्यूटनचिखली, छिंदवाडा
43	नगर परिषद शाहपुर, डिंडोरी
44	नगर परिषद त्योँधर, रीवा
45	नगर परिषद सिमरिया, रीवा
46	नगर परिषद वीरसिंहपुर, सतना
47	नगर परिषद नागोद, सतना
48	नगर परिषद लोहरदा, देवास
49	नगर परिषद बैकुण्ठपुर, रीवा

परिशिष्ट - II

(सन्दर्भ - कंडिका 1.10 (भाग - प्रथम) पृष्ठ क्र. 6)

रोकड़वही और बैंक पास बुक में दिये गये ब्यौरो का अन्तर

(₹ करोड में)

स.क्र	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	लेखापरीक्षा अवधि	31.3.11 को रोकड़ वही के अनुसार शेष	दिनांक 31.3.11 को बैंक पासबुक अनुसार शेष	अन्तर (31.03.11 के अनुसार)
1	नगर निगम सागर	2010-11	0.38	1.27	0.89
2	नगर निगम सतना	2010-11	4.48	5.48	1.00
2	नगर निगम सीवा	2010-11	2.59	2.84	0.25
कुल			7.45	9.59	2.14

उपरोक्त सूचना रोकड़ वही और बैंक पास बुक पर आधारित है

परिशिष्ट -III

(सन्दर्भ - कंडिका 1.11 (भाग - प्रथम) पृष्ठ क्र. 6)

दिनांक 31.3.2011 तक असंग्रहित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड में)

सरल क्र.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पिछले वर्ष का बकाया	वर्तमान वर्ष की मांग	कुल	कुल संग्रहित कर	असंग्रहित कर की राशि
1	नगर निगम रीवा	2.72	2.70	5.42	3.47	1.95
2	नगर निगम सतना	11.31	4.41	15.72	6.55	9.17
कुल		14.03	7.11	21.14	10.02	11.12

(स्रोत- नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर)

परिशिष्ट - -IV

(सन्दर्भ - कंडिका 1.11 (भाग - प्रथम) पृष्ठ क्र. 7)

दिनांक 31.3.2011 तक असंग्रहित गैर कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड में)

स.क्र	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पिछले वर्ष का बकाया	वर्तमान वर्ष की मांग	कुल	कुल संग्रहित कर	असंग्रहित कर की राशि
1	नगर निगम रीवा	1.24	1.36	2.60	2.17	0.43
2	नगर निगम सतना	5.36	0.72	6.08	0.49	5.59
3	नगर निगम सागर	5.77	2.76	8.53	2.04	6.49
कुल		12.37	4.84	17.21	4.70	12.51

(स्रोत- नगर निगम द्वारा उपलब्ध जानकारी पर आधारित)

परिशिष्ट - V

(सन्दर्भ - कंडिका 1.12 (भाग - प्रथम) पृष्ठ क्र. 7)

असमायोजित अग्रिमो का विवरण

(रूलाख में)

स.क्र	नगर निगम	अग्रिम दिया गया	उद्देश्य	अवधि	राशि
1	नगर निगम सतना	ऐसे कर्मचारी जो नगर निगम से सेवानिवृत्त हो गये/मर गये	कार्यालयीन प्रयोग हेतु	1987 से 1995	1.09
2	नगर निगम सतना	ऐसे कर्मचारी जिनका स्थानांतरण हो गया	कार्यालयीन प्रयोग हेतु	1989 से 2008	0.32
3	नगर निगम सतना	ऐसे कर्मचारी जो अभी सेवारत हैं	कार्यालयीन प्रयोग हेतु	1987 से 2011	15.36
4	नगर निगम सतना	ठेकेदारों /फर्मों को अग्रिम अदायगी	निर्माण कार्य हेतु	1985 से 2006	41.83
5	नगर निगम सतना	अन्य विभागों को अग्रिम अदायगी	विविध कार्य हेतु	1994 से 2008	21.83
6	नगर निगम सीवा	कर्मचारियों/ फर्मों को अग्रिम अदायगी	अग्रिम पंजी में नहीं दिखाया गया	अग्रिम पंजी में नहीं दिखाया गया	102.66
योग					183.09

या ₹1.83 करोड़

(स्रोत - नगर निगम सतना और सीवा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर)

परिशिष्ट - VI

(सन्दर्भ - कंडिका 2.7.2 (भाग - प्रथम) पृष्ठ क्र.13)

जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में 31 मार्च को अंतिम शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	जिले का नाम	31 मार्च को बकाया राशि				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	बैतुल	0.21	0.33	0.30	0.40	0.60
2	छतरपुर	0.31	0.32	1.15	1.29	2.09
3	मण्डला	0.09	0.13	0.21	0.42	0.68
4	रतलाम	0.41	0.69	1.17	0.99	1.38
5	शहडोल	0.13	0.25	0.32	0.66	0.66
6	शाजापुर	0.25	0.22	0.32	0.30	0.62
7	शिवपुरी	0.67	0.98	1.29	2.09	1.95
कुल		2.07	2.92	4.76	6.15	7.98

(स्रोत -परियोजना अधिकारी, डूंडा से ज्ञापन के माध्यम से संग्रहित अभिलेखों की सूचना के आधार पर)

परिशिष्ट - VII

(सन्दर्भ - कंडिका 2.8.1 (भाग - प्रथम) पृष्ठ क्र. 14)

ऋण प्रकरणों में बैंक द्वारा अनुदान का अनियमित समायोजन

स. क्र.	जिले का नाम	ऋण लेने वाले का नाम	ऋण स्वीकृति राशि/दिनांक	अनुदान समायोजन की राशि/दिनांक	निर्धारित अवधि दो वर्ष से पूर्व अनुदान राशि का समायोजन	बकाया राशि	बैंकों के नाम
1	छत्तरपुर	इरफान खान	47500/17.03.08	7500/22.01.10	हाँ	49,687	पंजाब नेशनल बैंक
2	--	यशोधरा सोनी	50,000/10.09.07	----	नहीं	47,934	
3	--	रानी खान	47,650/10.12.07	7500/23.11.09	हाँ	41,303	
4	--	रान्नो देवी	427502/28.02.09		नहीं	45,979	इलाहाबाद बैंक
5	--	विमल कुमार	50870/22.02.09		नहीं	66,986	
6	--	सुशीला सोनी	49145/28.02.09		नहीं	49,558	
7	शहडोल	अब्दुल कलीम	40,000/06.12.06	7500/17.04.08	हाँ	59,205	यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया
8		रामसिंह गोंड	50,000/16.04.08	7500/17.04.08	हाँ	52,591	
9		रफीक खान	50,000/16.04.08	7500/17.04.08	हाँ	47,489	
10		कौशल किशोर	50,000/09.09.07	7500/17.04.08	हाँ	60,415	
11		सचिन कुमार	50,000/17.04.07	7500/17.04.08	हाँ	59,852	

12		राजू डेविड	50,000/29.06.08	7500/17.08.08	हाँ	48,973	
13		गुड्डी चौधरी	50,000/26.03.09		नहीं	30,485	
14	शिवपुरी	गजाराम	50,000/19.03.09		नहीं	46,892	पंजाब नेशनल बैंक
15		महेन्द्र जाधव	39,600/08.03.09		नहीं	36861	
16		नसीर खान	40,000/08.03.09	6000/29.09.10	हाँ	34366	
17		गुड्डूभाई	19,000/27.08.09		नहीं	27431	
18		जगदीश नामदेव	40750/03.03.08		नहीं	32814	
19		तहीर बबलू	30,000/16.11.06	4500/14.01.08	हाँ	27854	
20	मण्डला	लक्ष्मी शर्मा	20,000/06.11.07		नहीं	18,439	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
21		राजू जैन	25,000/12.07.07		नहीं	21422	
22		रामकली बाई	20,000/08.10.07		नहीं	1582	पंजाब नेशनल बैंक
23		बबलू रावत	20,000/29.08.07		नहीं	बिना अदायगी राशि	
24		गौरी यादव	20,000/12.12.07		नहीं	बिना अदायगी राशि	
25		सपना	20,000/18.03.08		नहीं	24289	
26		ओमकुमार	20,000/27.02.08		नहीं	15119	
27		वकील खान	19,000/27.07.08		नहीं	10713	बैंक ऑफ

28		सलीम खान	19,000/27.07.08		नहीं	19410	महाराष्ट्र
29	रतलाम	कालीबाई	10,000/11.02.09	7500/31.12.10	हाँ	3330	बैंक ऑफ बड़ौदा
30		धप्पू बाई	19,650/07.11.08		नहीं	10794	
31		मंगू सिंह	23,750/03.02.09	7500/31.12.10	हाँ	2328	
32		कल्लू बाबा	50,000/16.04.08		नहीं	85978	
33		अकबर खान	20,000/22.07.08		नहीं	22192	
34		मौ0 महबूब	14,222/19.12.08		नहीं	5367	
35		अफसाना	14,750/05.01.09		नहीं	6103	
36		मुजफ्फर हुसैन	19,320/25.12.08		नहीं	10349	
37		नरगिस	20,000/11.6.08		नहीं	11904	
38		हंसा चंद्रा	47,500/19.07.08		नहीं	46333	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर
39		हमीदा कुरैशी	38,000/30.11.09	3847/07.05.11	हाँ	38468	
40		नारायण सिंह	35,000/22.08.07	5130/15.02.08	हाँ	28636	
41		नीता पुरोहित	38,000/13.01.09		नहीं	25196	
42		सरोज खान	11,400/24.03.09	1800/02.03.10	हाँ	7121	
43		अनीसा	7,600/24.01.09		नहीं	4812	
44		मोहीदीन	33250/25.02.09	5450/31.03.10	हाँ	31387	
45		रामकुमार	35,000/31.08.06	5250/31.03.09	हाँ	16327	
46		शिवकुमार	25,000/29.4.10	12,500/24.05.10	हाँ	38551	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

46		शिवकुमार	25,000/29.4.10	12,500/24.05.10	हो	16327 38551	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
----	--	----------	----------------	-----------------	----	----------------	----------------------------

47		विलकिस	25,000/16.01.10	12,500/14.01.10	हो	42391	
48		दीपक	90,000/25.01.10	25,000/30.03.10	हो	81892	
49		रेखा कल्लू	50,000/11.05.10	12,500/08.07.10	हो	33512	
50		हसीना बानो	50,000/06.01.10	12,500/14.01.10	हो	32889	
50		परवीन	50,000/06.01.10	12,500/14.01.10	हो	29119	

परिशिष्ट - VIII

(सन्दर्भ - कंडिका 3.1 और 3.1.2 (भाग - I) पृष्ठ क्र. 20 और 22)

वर्ष 2010-11 के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का निदेशालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. द्वारा कोषालय से आहरण एवं स्थानीय निकायों को हस्तांतरण का विवरण।

स.क्र.	अनुदान का नाम	किशतों की संख्या	भारत सरकार से प्राप्त राशि		आयुक्त UADD द्वारा कोषालय से आहरित राशि		भारत सरकार से प्राप्त राशि के परिप्रेक्ष्य में कम/अधिक राशि कोषालय से आहरण		स्थानीय निकायों को हस्तांतरित राशि		नगरीय निकायों को निर्धारित अवधि के बाद स्थानांतरित अनुदान राशि	
			दिनांक	राशि (करोड़ में)	चैक क्र./दिनांक	राशि (₹ करोड़ में)			दिनांक	राशि (करोड़ में)	दिन	स्थानीय निकायों को देय ब्याज की राशि
1	सामान्य मूल अनुदान	प्रथम	15.7.10	69.55	283706 283707 और 283708 दि. 26.8.10	7	8	-	9	10	11	12
2	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	प्रथम	15.7.10	1.97	283709 दि. 26.8.10	1.971	0.001 (आधिक्य)	26.8.10	1.971	27		87480.00

3	सामान्य मूल अनुदान	द्वितीय	29.3.11	67.87	298847, 298867 और 298849 दि. 30.3.11	67.87	हस्तांतरण दिनांक भारत सरकार को 30.3.11 सूचित किया गया जबकि कोषालय से राशि(₹67.87) दि. 31.3.11 को आहरित की गई।	
4	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	द्वितीय	30.3.11	1.97	299485/ 20.4.11	1.57	1.57(आधिक्य)	20.4.11 1.57 16 41293.00

1	सामान्य मूल अनुदान		137.42	137.42	1.969(कमी)	-	-	-	3086877
2	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान		3.94	3.541	वर्ष 2010-11 के दौरान)				+128773
	कुल योग		141.36	140.961	(-) 0.399(कमी)	-	-	-	3215650 या ₹ 0.322 करोड़

(स्रोत- वित्त विभाग और म.प्र. निदेशालय, नगरीय प्रशासन और विकास भोपाल द्वारा की गई सूचना के आधार पर)

ब्याज की गणना- 1. 695500000 X 6/100X27/365=3086876.71

2. 19710000X 6/100X27/365=87480.00

3. 15700000X 6/100X16/365=41293.15

परिशिष्ट - IX

(सन्दर्भ - कंडिका 1.6 (भाग - द्वितीय) पृष्ठ क्र. 28)

वर्ष 2010-11 में लेखा परीक्षा की गई पंचायती राज संस्थाओं की सूची

स.क्र.	जिला पंचायत का नाम
1	जिला पंचायत मुरैना
2	जिला पंचायत छिंदवाडा
3	जिला पंचायत खण्डवा
4	जिला पंचायत खरगौन
5	जिला पंचायत बडवानी
6	जिला पंचायत बैतुल
7	जिला पंचायत जबलपुर
8	जिला पंचायत धार
9	जिला पंचायत अनुपपुर
10	जिला पंचायत वालाघाट
11	जिला पंचायत श्योपुर
12	जिला पंचायत मण्डला

वर्ष 2010 -11 में लेखापरीक्षित जनपद पंचायतों की सूची

स.क्र.	जनपद पंचायत
1.	जनपद पंचायत, श्योपुर
2.	जनपद पंचायत, विजयपुर, श्योपुर
3.	जनपद पंचायत, अंबाह मुरैना
4.	जनपद पंचायत, पोरसा मुरैना
5.	जनपद पंचायत, सवलगढ़
6.	जनपद पंचायत, मिहोना भिण्ड
7.	जनपद पंचायत, गोहद भिण्ड
8.	जनपद पंचायत, धाटीगांव ग्वालियर
9.	जनपद पंचायत नरबर, शिवपुरी
10.	जनपद पंचायत पिछोर, शिवपुरी
11.	जनपद पंचायत खनियांधाना, शिवपुरी
12.	जनपद पंचायत चचौरा गुना
13.	जनपद पंचायत राधोगढ़ गुना
14.	जनपद पंचायत अरोन गुना
15.	जनपद पंचायत अशोक नगर
16.	जनपद पंचायत दतिया
17.	जनपद पंचायत देवास
18.	जनपद पंचायत सोनकच्छ देवास
19.	जनपद पंचायत सैलाना रतलाम
20.	जनपद पंचायत वाजना रतलाम
21.	जनपद पंचायत जावरा रतलाम

22.	जनपद पंचायत नालखेड़ा शहजापुर
23.	जनपद पंचायत मल्हारगढ़ मंदसौर
24.	जनपद पंचायत गरौठ मंदसौर
25.	जनपद पंचायत भानपुरा मंदसौर
26.	जनपद पंचायत नीमच
27.	जनपद पंचायत जावद नीमच
28.	जनपद पंचायत बनासा नीमच
29.	जनपद पंचायत महिदपुर उज्जैन
30.	जनपद पंचायत कुक्षी धार
31.	जनपद पंचायत रनपुर
32.	जनपद पंचायत सेगांव खारगौन
33.	जनपद पंचायत सीगांव खारगौन
34.	जनपद पंचायत भिखरगांव खारगौन
35.	जनपद पंचायत झिरनिया खारगौन
36.	जनपद पंचायत महेश्वर खारगौन
37.	जनपद पंचायत बड़वानी
38.	जनपद पंचायत राजपुर बड़वानी
39.	जनपद पंचायत सेंडवा बड़वानी
40.	जनपद पंचायत खण्डवा
41.	जनपद पंचायत खालवा खण्डवा
42.	जनपद पंचायत इक्षावर सीहोर
43.	जनपद पंचायत सॉची रायसेन
44.	जनपद पंचायत बेगमगंज रायसेन
45.	जनपद पंचायत सिलवानी रायसेन
46.	जनपद पंचायत जिरापुर राजगढ़
47.	जनपद पंचायत नरसिंहगढ़
48.	जनपद पंचायत विदिशा
49.	जनपद पंचायत गैराशपुर विदिशा
50.	जनपद पंचायत, बबई होशंगाबाद
51.	जनपद पंचायत, कैसला होशंगाबाद
52.	जनपद पंचायत सुहागपुर होशंगाबाद
53.	जनपद पंचायत बानखेड़ी होशंगाबाद
54.	जनपद पंचायत हरदा
55.	जनपद पंचायत मालथोन, सागर
56.	जनपद पंचायत तेदुखेड़ा
57.	जनपद पंचायत गुनौर पन्ना
58.	जनपद पंचायत पवई पन्ना
59.	जनपद पंचायत लौड़ी छतरपुर
60.	जनपद पंचायत टीकमगढ़
61.	जनपद पंचायत जतारा टीकमगढ़

62.	जनपद पंचायत शाहगढ़ सागर
63.	जनपद पंचायत बंदा, सागर
64.	जनपद पंचायत पलारिया टीकमगढ़
65.	जनपद पंचायत कटनी
66.	जनपद पंचायत विजयाराधोगढ़ कटनी
67.	जनपद पंचायत मौरवेड़ा छिंदवाड़ा
68.	जनपद पंचायत सोसर छिंदवाड़ा
69.	जनपद पंचायत सिवनी
70.	जनपद पंचायत केवलारी सिवनी
71.	जनपद पंचायत कहानी के पास धनसोर सिवनी
72.	जनपद पंचायत घुघरी मण्डला
73.	जनपद पंचायत मैनपुरा मण्डला
74.	जनपद पंचायत निवास मण्डला
75.	जनपद पंचायत डिण्डोरी
76.	जनपद पंचायत करजनियाँ डिण्डोरी
77.	जनपद पंचायत सामनापुर डिण्डोरी
78.	जनपद पंचायत शाहपुरा डिण्डोरी
79.	जनपद पंचायत लानजी बालाघाट
80.	जनपद पंचायत बैहर बालाघाट
81.	जनपद पंचायत खैरलौजी बालाघाट
82.	जनपद पंचायत लालबरस बालाघाट
83.	जनपद पंचायत जावा, रीवा
84.	जनपद पंचायत सिरमौर, रीवा
85.	जनपद पंचायत गेगू रीवा
86.	जनपद पंचायत चित्रकूट मझगांव सतना
87.	जनपद पंचायत रामपुर बघेलन, सतना
88.	जनपद पंचायत रामनगर सतना
89.	जनपद पंचायत नागौर सतना
90.	जनपद पंचायत अनुपपुर
91.	जनपद पंचायत तिरवा, धार
92.	जनपद पंचायत धरमपुरी, धार
93.	जनपद पंचायत नालछा, धार
94.	जनपद पंचायत सिहोरा जबलपुर
95.	जनपद पंचायत पाटन जबलपुर
96.	जनपद पंचायत शाहपुरा जबलपुर
97.	जनपद पंचायत कुडम जबलपुर

नोट- जनपद पंचायत की लेखापरीक्षा के दौरान ग्राम पंचायत की लेखापरीक्षा हेतु चयन उनके व्यय के आधार पर की गई। वर्ष 2010-11 में 345 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की गई।

परिशिष्ट- X

(सन्दर्भ- कंडिका 1.10 भाग-द्वितीय-पृष्ठ क्र. 30)
रोकड़ वही और बैंक पास बुक के विवरण का अन्तर

स.क्र.	पंचायती राज संस्था का नाम	लेखा परीक्षा की अवधि	रोकड़ वही के अनुसार राशि	बैंक पास बुक के अनुसार राशि	अन्तर
1	जिला पंचायत छिंदवाड़ा	2009-11	119303148	147451516	28148368
2	जिला पंचायत उज्जैन	2010-11	228223483	458261729	230038246
3	जनपद पंचायत पानागर (जबलपुर)	2010-11	17535749	25012076	7476927
4	जनपद पंचायत कनियाधाना (शिवपुरी)	2010-11	56257328	41636355	- 14620973
		कुल	421319708	672361676	251042568 या ₹25.10 करोड़ रुपये

स्रोत- उपरोक्त जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के अभिलेखों से संग्रहित जानकारी के आधार पर

परिशिष्ट-XI

(सन्दर्भ-कॉडिका 2.1 और 2.1.3 (भाग-द्वितीय) पृष्ठ क्र. 31 और 33)

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की स्थिति और निदेशालय पंचायती राज म0प्र0 द्वारा कोष से आहरित राशि और वर्ष 2010-11 में स्थानीय निकायों को हस्तांतरण

स.क्र.	अनुदान का नाम	किश्तों की सं.	भारत सरकार से प्राप्त राशि		आयुक्त पंचायती राज द्वारा कोष से आहरित राशि		भारत सरकार से प्राप्त राशियों के परियेक्ष्य में कोषालय से अधिक/कम आहरित अनुदान राशि (₹ करोड़ में)	स्थानीय निकायों को हस्तांतरित राशि		स्थानीय निकायों के GIA अनुदान का निर्धारित अवधि से विलंब से जारी होना	
			दिनांक	राशि (करोड़ में)	चैक न./दि.	राशि (करोड़ में)		दिनांक	राशि (करोड़ में)	दिन	स्थानीय निकायों को देय ब्याज की राशि (₹)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सामान्य मूल अनुदान	I st	15.7.10	191.52	284546 8.9.10	191.55	0.03 (आधिक्य)	13.9.10 22.3.11	145.21 (Gram Panchayats) 46.34 (CEO ZP Bhopal)	45 235	10741562.00 17901205.00
2.	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान	I st	15.7.10	11.28 ²³	284545 8.9.10	11.284	0.004 (आधिक्य)	13.9.10	11.284 (Gram Panchayats)	45	834707.00

23

प्रत्येक किस्त (₹13.15 करोड़) की SABG राशि PRDD&UADD द्वारा आहरित की गई और वित्त विभाग द्वारा लेखा परीक्षा को सूचित नहीं किया गया, PRDD के कार्यवाही योजना के अनुसार राशि ₹ 11.28 करोड़ PRI का भाग है और शेष राशि ₹1.97 करोड़ प्रत्येक किस्त के नगरीय स्थानीय निकायों के ब्याज का हिस्सा है।

3.	सा.मूल.अनुदान	II nd	30.3.11	186.90	299020 31.3.11	191.49	4.59 (आधिक्य)	हस्तांतरण दिनांक/स्थिति भारत सरकार को सूचित नहीं की गई।
4.	विशेष क्षेत्र अनुदान	II nd	30.3.11	11.28	299022 31.3.11	8.63	2.65 (कमी)	
I	सा.मूल.अनुदान			378.42		383.04	4.62 (आधिक्य)	28642767.00
II	विशेष क्षेत्र मूल अनुदान			22.56		19.914	2.646 (कमी)	834707.00
	कुल			400.98		402.954		29477474.00

(स्रोत- FD,CPR,CUADD & CEOZP म.प्र. भोपाल द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर)

ब्याज की गणना- (1) $1452100000 \times \frac{6}{100} \times \frac{45}{365} = 10741561.64$

(2) $463400000 \times \frac{6}{100} \times \frac{235}{365} = 17901205.479$

(3) $112840000 \times \frac{6}{100} \times \frac{45}{365} = 834706.84$